विशेषज्ञ समिति

प्रो कामेश्वर चौधरी
अम्बेडकर विश्वविद्यालय
लखनऊ

प्रो. विश्वजीत दास
सेंटर फॉर मीडिया, कल्चर एंड गवर्नेंश
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

प्रो. पुष्पेश कुमार
समाजशास्त्र विभाग
हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय
तेलंगाना

डॉ स्वाति सचदेवा,
सिक्किम विश्वविद्यालय
सिक्किम

डॉ. निशि मित्रा
टिस, मुंबई

प्रो. देबल सिंघा रॉय
समाजशास्त्र का अनुशासन
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. नीता माथुर
समाजशास्त्र अनुशासन
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ अर्चना सिंह
समाजशास्त्र अनुशासन,
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. किरणमयी भूशी
समाजशास्त्र अनुशासन
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. रवीन्द्र कुमार
समाजशास्त्र अनुशासन
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. आर. वाशुम
समाजशास्त्र अनुशासन
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. त्रिभुवन कपूर
समाजशास्त्र अनुशासन
इग्नू, नई दिल्ली

संपादक
डॉ. अर्चना प्रसाद, दिल्ली
विश्वविद्यालय
(इकाई 6, 8, 9, 10,11 और 12)
प्रो. शुभांगी SOITS, इग्नू
(इकाई 1, 2, 4 और 5)

पाठ्य सामग्री निर्माण टीम

	इकाई लेखक	इन–हाउस संपादक (विषय वस्तु, फॉर्मेट और भाषा)
खंड 1 परिचय		डॉ. किरणमई बुशी
इकाई 1 नातेदारी अध्ययन की समझ	डॉ. सुश्री पाणिग्रही	
इकाई 2 बुनियादी संकल्पनाएँ	डॉ. सुश्री पाणिग्रही	
2 दृष्टियाँ		डॉ. किरणमई बुशी
इकाई 3 वंश दृष्टिकोण	डॉ. अर्चना प्रसाद	
इकाई 4 गठबंधन दृष्टिकोण	डॉ. अर्चना प्रसाद	
इकाई 5 सांस्कृतिक दृष्टिकोण	डॉ. अर्चना प्रसाद	
3 परिवार, घर और विवाह		डॉ. किरणमई बुशी
इकाई 6 क्रॉस–सांस्कृतिक विविधता	डॉ. गीतांजली अत्री और डॉ. अर्चना प्रसाद	
इकाई 7 जाति, वर्ग और जेंडर	डॉ. अर्चना प्रसाद	
इकाई 8 परिवार का पुनर्बिबिकरण	डॉ. कनिकक्कड़ और डॉ. अर्चना प्रसाद	
4 नातेदारी की पुनर्रचना		डॉ. किरणमई बुशी
इकाई 9 संबंधिता और काल्पनिक नातेदारी	डॉ. महिमा वर्मा और डॉ. अर्चना प्रसाद	
इकाई 10 नातेदारी और जेंडर	डॉ. महिमा वर्मा	
इकाई 11 नई प्रजनन तकनीकियाँ	डॉ. महिमा वर्मा	
इकाई 12 लोकप्रिय संस्कृति और नातेदारी की पुनर्कल्पना	डॉ. उज़्मा अज़हर	

ग्राफिक्स / कवर डिजाईन
आर. के. इंटरप्राइजेज़

प्रिंट प्रोडकशन

पाठ्यक्रम विषय सूची

पृष्ठ संख्या

खंड 1 **परिचय**

इकाई 1 नातेदारी अध्ययन की समझ

इकाई 2 बुनियादी संकल्पनाएँ

खंड 2 **दृष्टियाँ**

इकाई 3 वंश दृष्टिकोण

इकाई 4 गठबंधन दृष्टिकोण

इकाई 5 सांस्कृतिक दृष्टिकोण

खंड 3 **परिवार, घर और विवाह**

इकाई 6 भारत में क्रॉस–सांस्कृतिक विविधता

इकाई 7 जाति, वर्ग और जेंडर

इकाई 8 परिवार का पुनर्बिबिकरण

खंड 4 **नातेदारी की पुनर्रचना**

इकाई 9 संबंधिताऔर काल्पनिक नातेदारी

इकाई 10 नातेदारी और जेंडर

इकाई 11 नई प्रजनन तकनीकियाँ

इकाई 12 लोकप्रिय संस्कृति और नातेदारी की पुनर्कल्पना

शब्दावली

उपयोगी पुस्तकें

पाठ्यक्रम परिचय

खंड 1 परिचय : नातेदारी सामाजिक व्यवस्था की सबसे बुनियादी इकाई है जहाँ एक व्यक्ति के सामाजिक–सांस्कृतिक जगत को आकार दिया जाता है। इस जगत को समाजशास्त्रियों ने नातेदारी प्रणाली कहा है। इस खंड में दो इकाइयाँ हैं जो विद्यार्थियों को नातेदारी के कुछ बुनियादी विचारों और उसके अध्ययन अध्ययन में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न अवधारणाओं से परिचय कराती हैं। इकाई–1 में पश्चिम और भारत में नातेदारी अध्ययन के विकास का पता लगाया गया है। लुईस मॉर्गन ने नातेदारी का औपचारिक अध्ययन शुरू किया। रेडक्लिफ–ब्राउन जैसे बाद के मानवविज्ञानी का न केवल नातेदारी शब्दावली बल्कि संबंधों और विश्लेषण की पद्धति से भी सरोकार था। यह लेवी–स्ट्रॉस थे जिन्होंने अमूर्त प्रारूपीकरण और महिलाओं के आदान–प्रदान पर फोकस करते हुए नातेदारी के अध्ययन की पद्धति को बदल दिया। भारत में नातेदारी का अध्ययन भारतीय समाज के व्यापक पहलू का अंग था। नातेदारी का अध्ययन, परिवार और विवाह के साथ किया गया, जो घुर्ये, कर्वे, मदान और श्रीनिवास के कार्यों में दिखलाई देता है। चूँकि नातेदारी अध्ययन समाजशास्त्रीय और मानवशास्त्रीय अध्ययनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसके विचार की प्रमुख अवधारणाओं के कई अध्ययन हैं। इस इकाई में, हमने नातेदारी में प्रयुक्त मूल अवधारणाओं अर्थात् परिवार, विवाह, वंश और गठबंधन पर विचार किया है।

खंड 2 दृष्टियाँ : नातेदारी संबंधों को तीन दृष्टिकोणों के माध्यम से समझा जा सकता हैरू 1) वंश दृष्टिकोण– रक्त/संबंध संबंधों पर जोर 2) गठबंधन दृष्टिकोण– विवाह पर जोर और 3) सांस्कृतिक दृष्टिकोण– सांस्कृतिक पहलुओं के रूप में नातेदारी पर ध्यान केंद्रित करना। वंश दृष्टिकोण में वैवाहिक संबंध को रक्त संबंध की तुलना मंओ गौण माना जाता था। गठबंधन के दृष्टिकोण में फोकस रक्त संबंध से हटकर विवाह के परिणामस्वरूप बने संबंधों पर केंद्रित हो गया। इसके मूल में समूहों के गठन में महिलाओं के आदान–प्रदान का विचार था। महिलाओं को वस्तु के रूप में लेने तथा वैवाहिक और सगोत्र के बीच के विपरीत–भाव को सार्वभौमिक मानने के लिए गठबंधन सिद्धांत की आलोचना की गई। वंश और गठबंधन सिद्धांत दोनों की सीमा के कारण नातेदारी के अध्ययन के तरीके में एक मुख्य परिवर्तन हुआ। सांस्कृतिक दृष्टिकोण ने तर्क दिया कि नातेदारी को केवल जीवविज्ञान के

संदर्भ में नहीं समझा जा सकता है। जीव विज्ञान के संदर्भ को यूरोपीय संस्कृति से प्राप्त नातेदारी के जातीय दृष्टिकोण के अलावा और कुछ नहीं माना गया। नातेदारी को प्रत्येक समाज की सांस्कृतिक प्रथाओं के संदर्भ में समझा जाना था।

खंड 3 परिवार, घर और विवाह : इस खंड में तीन इकाइयाँ शामिल हैं जो बड़ी सामाजिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं के संदर्भ में नातेदारी प्रणाली की जाँच करती हैं। इस खंड पहली इकाई, इकाई 6 भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नातेदारी प्रणाली को आकार देने वाले मानदंडों, नियमों और रूपों की जाँच करती है। भले ही, इकाई इस तरह के क्रॉस–सांस्कृतिक विविधताओं को इंगित करने का प्रयास करती है, लेकिन आधुनिकीकरण, शहरीकरण और प्रवास की ताकतों के कारण इसका अधिकांश हिस्सा कुछ परिवर्तनों के अधीन रहा है। इकाई 7 में जाति, वर्ग और जेंडर के अंतरसंबंध पर विचार किया गया है। इकाई 8 परिवार को देखने के नए तरीकों पर केंद्रित है। यह परिवार और उसकी आलोचनाओं की पारंपरिक समझ पर ध्यान केंद्रित करने से शुरू होती है। उसके बाद यह नारीवादी आलोचनाओं तथा उनके द्वारा परिवार और नातेदारी की पारंपरिक/रूढ धारणाओं की मान्यताओं पर सवाल उठाए जाने पर विचार करती है। प्रेम और लिव–इन संबंधों की विचारधारा पर आधारित विभिन्न वैकल्पिक परिवारों को पारंपरिक रूप से यौन दमनकारी पारिवारिक रूपों और नातेदारी पैटर्न के साथ नेगोशिएट करने के संभावित तरीकों के रूप में देखा जा सकता है।

खंड 4 नातेदारी की पुनर्रचना : इस खंड की चार इकाइयाँ तकनीकी परिवर्तनों, नई और विकसित हो रही अस्मिता जो कि लोकप्रिय संस्कृति का प्रतिबिंब होने के साथ–साथ उससे प्रभावित भी होती है, के कारण नातेदारी को देखने के नए तरीकों से संबंधित हैं। 1970 के दशक के बाद नातेदारी के अध्ययन ने सांस्कृतिक

दृष्टिकोण के साथ एक नई दिशा ली। श्नाइडर प्रजनन की केंद्रीयता को चुनौती देने में सही थे, जैसा कि मानवविज्ञानी मानते हैं। नातेदारी का सामाजिक पहलुओं से गहरा संबंध है। यह खंड इन पहलुओं से संबंधित है। इकाई 9 संबंधितता की अवधारणा से संबंधित है। इकाई कार्स्टन के काम पर विचार किया गया है जो दर्शाता है कि जैविक से सामाजिक का अलगाव हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। यह प्रजनन तथा साथ–साथ रहने और खाने से उत्पन्न होता है। संबंधितता नातेदारी के

प्रक्रियात्मक आयाम पर जोर देती है। नातेदारी के मानवशास्त्रीय अध्ययनों ने सूचना के स्रोत के रूप में मुख्य रूप से पुरुष सूचनादाताओं पर निर्भरता के कारण जेंडर पूर्वाग्रह पैदा किया है। नारीवादी मानवविज्ञानी के आने के बाद ही जेंडर और नातेदारी एक संग लाए गए, क्योंकि मानवविज्ञानियों और नारीवादियों दोनों के बीच इस अहसास ने जोर पकड़ा कि महिलाओं को एक योगदानकर्ता के रूप में नजरअंदाज करते हुए सिद्धांतीकरण करने से नातेदारी वृत्तांत अपूर्ण और पुरुषपक्षीय बने रहेंगे। इकाई 10 में, हम जेंडर, पूर्वाग्रह, नारीवादी योगदान की जांच करेंगे जिसके कारण नातेदारी की पुनरूपड़ताल की गई। इकाई 11 में हमने नई प्रजनन तकनीक के अर्थ और इसने मातृ–पितृत्व की समझ को कैसे फिर से परिभाषित किया है, उसे समझने का प्रयास किया है। नई–प्रजनक तकनीकी के उपयोग के कारण मातृत्व की पारंपरिक समझ को चुनौती मिली है। इकाई 12 लोकप्रिय संस्कृति को नातेदारी और परिवार की संस्थाओं में परिवर्तन और निरंतरता के प्रतिबिंब के रूप में देखती है।

इकाई 1 नातेदारी अध्ययन को समझना

संरचना

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 पश्चिमी परिप्रेक्ष्य से नातेदारी अध्ययन

1.2.1 डेविड एम. स्नाईडर

1.2.2 लुई हेनरी मॉर्गन

1.2.3 ए. आर. रेडक्लिफ–ब्राउन

1.2.4 सी. लेवी–स्ट्राउस

1.2.5 जैक गुडी

1.3 भारतीय परिप्रेक्ष्य से नातेदारी अध्ययन

1.3.1 इरावती कर्वे

1.3.2 टी. एन. मदान

1.3.3 एम. एन. श्रीनिवास

1.4 जेंडर और नातेदारी अध्ययन

1.5 सारांश

1.6 संदर्भ

1.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप

- नातेदारी का वर्णन कर सकेंगे/सकेंगीं
- नातेदारी अध्ययन के बारे में पश्चिमी और भारतीय दोनों परिप्रेक्ष्यों से बात कर सकेंगे/सकेंगीं
- नातेदारी अध्ययन के जेंडरगत पहलू पर बात कर सकेंगे/सकेंगीं

1.1 प्रस्तावना

नातेदारी अध्ययन पिछले सौ वर्षों से मानववैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय अध्ययन दोनों का एक अभिन्न अंग रहा है। पीटर जी. मर्डॉक, रेडक्लिफ–ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, एडमंड लीच, इरावती कर्वे, के.एम. कपाड़िया जैसे समाजशास्त्रियों और मानवविज्ञानियों ने इस विषय में काफी योगदान दिया है। इससे पहले कि हम नातेदारी अध्ययन पर अपनी चर्चा शुरू करें, आइए पहले यह समझें कि नातेदारी क्या है। नातेदारी से विवाह (affinal) या रक्त–संबंध (consanguineal) आधारित संबंधों का बोध होता है। लोगों के बीच संबंध स्थापित करने के अलावा, नातेदारी प्रणाली भूमिकाएं और स्थान भी प्रदान करती है। ये दोनों लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। साथ ही, ये अक्सर जेंडर और उम्र से जुड़ी होती हैं। नातेदारी अध्ययन के प्रवर्तकों में से एक मर्डॉक ने नातेदारी को परिभाषित करते हुए कहा है, "नातेदारी प्रणाली की एक संरचना होती है जिसमें परिजन एक–दूसरे से संबंधों में बंधे होते हैं" (मर्डॉक, 1949: 93)।

इस इकाई में हम नातेदारी के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचारों पर नजर डालेंगे। इकाई को पश्चिमी और भारतीय दो अलग–अलग नातेदारी प्रणाली में बाँटा गया है। इसकी वजह यह है कि पश्चिमी और भारतीय समाज भिन्न–भिन्न रूपों में गठित हैं और उन पर हुए अध्ययनों में यह दिखता भी है।

1.2 नातेदारी अध्ययन : पश्चिमी परिप्रेक्ष्य

मॉर्गन के 1875 में किए गए काम से नातेदारी विषयक अध्ययन की शुरुआत मानी जा सकती है। बाद के सालों के दौरान नातेदारी के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण उभर कर सामने आए हैं। साथ ही, नातेदारी में इस्तेमाल होने वाले शब्दों के विश्लेषण से लेकर दुनिया भर के विभिन्न समाजों के बीच विद्यमान समानताओं और भिन्नताओं के अध्ययन तक, नातेदारी अध्ययन के कई तरीके विकसित हुए। 1960 के दशक में नातेदारी अध्यय में स्नाईडर, एडमंड लीच और अन्य विद्वानों के प्रयासों के कारण वंश, विवाह, नातेदारी आदि जैसे अवधारणात्मक शब्दों के अध्ययन की ओर झुकाव देखा गया। लेकिन 1970 के दशक तक आते–आते मानव विज्ञान में नातेदारी अध्ययन की पहले की तरह महत्ता नहीं रही। इसकी वजह यह थी कि नातेदारी का अध्ययन राजनीतिक मानव विज्ञान, नारीवादी मानव विज्ञान और सामाजिक इतिहास जैसे विषयों के तहत किया जाने लगा। आइए अब हम नातेदारी पर किए गए कुछ मुख्य अध्ययनों को समझने की कोशिश करें।

1.2.1 डेविड एम. स्नाईडर

अमेरिकी मानवविज्ञानी स्नाईडर अपनी किताब अमेरिकन किनशिप: ए कल्चरल अकाउंट (1968) के लिए जाने जाते है। इसमें उन्होंने उत्तरी अमेरिका और ब्रिटेन की नातेदारी प्रणाली का अंतर्दृष्टि–भरा अध्ययन किया है। वे अपने इस काम को एक सांस्कृतिक वृत्तांत कहते हैं क्योंकि उनके लिए नातेदारी प्रणाली प्रतीकों और अर्थों की एक प्रणाली है न कि केवल भूमिकाएं और स्थितियाँ प्रदान करने वाली प्रणाली। स्नाईडर इस प्रश्न के आधार पर आंकड़े/जानकारी इकट्ठा कर उनका अध्ययन किया कि वह कौन सी खासियत है जो किसी को रिश्तेदार/संबंधी बनाती है। उन्होंने रक्त और विवाह पर आधारित संबंधों को वर्गीकृत करने के लिए घर, परिवार और प्यार जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग किया। कहने की जरूरत नहीं है कि घरेलू संगठन, तलाक और यौनिकता को नातेदारी से अलग करके चलने के कारण स्नाईडर के दृष्टिकोण की बहुत आलोचना की गई। उन्होंने कहा

कि अमेरिकी नातेदारी प्रणाली जेंडर, वर्ग और यहाँ तक कि अन्य नस्लीय समूहों में एक–सा है।

1.2.2 लुई हेनरी मॉर्गन

1877 में प्रकाशित अपनी किताब एंसिएंट सोसाइटी में मॉर्गन ने नातेदारी और विवाह के विकास–क्रम (स्वच्छंद यौन संबंध से एकल–यौन–संबंध तक) तक का रेखांकन किया। उनका मानना था कि नातेदारी शब्दावली किसी भी समाज की नातेदारी प्रणाली को उजागर करने की कुंजी है। इसलिए, उन्होंने अमेरिकी इंडियन जनजातियों में प्रचलित शब्दावली के विशाल नमूने एकत्र किए और उनकी तुलना एशियाई समाज–संबंधों से की। इस किताब में मॉर्गन ने परिवार, संपत्ति और राज्य के उद्‌भव को समझाने की कोशिश की थी। मॉर्गन की नातेदारी में दिलचस्पी काफी हद तक अमेरिकी इंडियन जनजाति इरोक्वा पर गहन शोध के कारण थी। उनका मानना था कि नातेदारी प्रणाली जैविक वंश पर आधारित है और यह भी कि, परिवार और विवाह मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के उपाय हैं। एंसिएंट सोसाइटी में मॉर्गन लिखते हैं कि विवाह के नियम पारिवारिक संगठन और परिवार के विकास को निर्धारित करते हैं। मॉर्गन वर्गीकृत और वर्णनात्मक प्रणाली मे योगदान के लिए भी जाने जाते हैं।

बॉक्स . वर्गीकृत और वर्णनात्मक नातेदारी प्रणाली

नातेदारी की वर्गीकरण प्रणाली वह है जिसमें एक ही शब्द से कई (डाइरेक्ट (प्रत्यक्ष) और कोलैटरल (संपार्श्विक)) परिजनों को संबोधित किया जाता है। कोलैटरल परिजनों से हमारा मतलब माता–पिता के भाई–बहनों से है। मॉर्गन के अनुसार, वर्णनात्मक नातेदारी प्रणाली में इन दोनों श्रेणियों के परिजनों के लिए अलग–अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

कई नातेदारी समूहों में, समानांतर चचेरे भाई–बहन (माता की बहनों या पिता के भाइयों के बच्चे) या क्रॉस कजिन (पिता की बहनों और माता के भाइयों के बच्चे) के लिए अलग–अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है। यह भेद उन समाजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ कज़िन के बीच शादी का रिवाज है। भारत में यह दक्षिण भारत में कुछ समुदायों में प्रचलित है।

1.2.3 ए. रैडक्लिफ–ब्राउन

रैडक्लिफ ब्राउन ने नातेदारी प्रणाली का उपयोग उन रिश्तों को निरूपित करने के लिए किया था जो विवाह और रक्त–संबंध पर आधारित थे। रेडक्लिफ–ब्राउन के अनुसार, प्राथमिक परिवार में पति, पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते हैं। वहीं, यौगिक या विस्तृत परिवार, एक पति और कई पत्नियों (बहुपत्नीक) या यहाँ तक कि दूसरे विवाह से बने होते हैं। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि परिवार का का कोई एक सुनिश्चित रूप नहीं होता है क्योंकि यह समाज–दर–समाज भिन्न हो सकता है। वे आगे कहते हैं कि, "किसी भी समाज में सामाजिक परिचालन के लिए इन संबंधों की एक निश्चित संख्या की पहचान की जाती है, अर्थात् समाज उन्हें कुछ

अधिकार और कर्तव्य या कुछ विशिष्ट व्यवहार आवंटित करते हैं, इन रूपों में स्वीकृत संबंधों को मैं नातेदारी प्रणाली कह रहा हूँ" (1941: 2)। इस तरह, नातेदारी प्रणाली से सामाजिक संबंधों के नेटवर्क का बोध होता है, जिसे परिवार, कबीला, वंश समूह या मोइटीज के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ब्राउन कबीले और वंश के बीच के अंतर की भी बात करते हैं। कबीला आम तौर पर ऐसे लोगों का समूह होता है, जिसके सदस्य किसी सामान्य पूर्वज के आधार पर एक परिजन समूह से जुड़े होने का दावा करते हैं। हो सकता है कि इस तरह के किसी पूर्वज का वजूद कभी न रहा हो। भारतीय समाज में पाई जाने वाली गोत्र व्यवस्था इसी तरह की है, जिसके बारे में हम आगे विचार करेंगे। वहीं, वंश में ऐसे लोग होते हैं जो अपने सामान्य पूर्वज की पहचान कर सकते हैं यानी इस मामले में पूर्वज वास्तविक होता हैं न कि मिथकीय या कल्पित।

रेडक्लिफ–ब्राउन का कहना है कि नातेदारी नामकरण नातेदारी प्रणाली का एक अभिन्न अंग होने के साथ–साथ भाषा का भी हिस्सा होता है। नामकरण पीढ़ी और संबंध को भी इंगित करता है। वे कहते हैं कि किसी विशेष पीढ़ी (आमतौर पर पहली अग्रज पीढ़ी) के प्रति सम्मान का रवैया रहता है तो वहीं अधीनता का भी। एक और विशेषता जिसके बारे में वे बात करते हैं वह है कुछ श्रेणियाँ, जिनके भीतर किसी व्यक्ति के कई रिश्तेदारों को एक समूह में रखा जा सकता है या दूसरे शब्दों में "रिश्तेदारों की एक श्रेणी को किसी एक ही शब्द से संबोधित किया जाता है" (रेडक्लिफ–ब्राउन, 1974: 6)। उदाहरण के लिए अंकल। वे बताते हैं कि ब्रिटीशों की भाषा में मामा (माँ का भाई) और चाचा (पिता का भाई) दोनों के लिए एक ही शब्द अंकल का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय संदर्भ में, कुछ समाजों में, माता के भाई को मामा और पिता के बड़े भाई को ताऊजी या बड़े पापा तथा छोटे भाई को चाचा कहा जाता है। रैडक्लिफ ब्राउन का कहना है कि अंकल नामकरण से यह भी प्रदर्शित होता है कि नेफ्यू (भतीजा/भतीजी या भागीना/भगिनी) का माता या पिता के पक्ष के अंकल या औंट के साथ संबंधों में कोई खास अंतर नहीं है। जबकि भारतीय समाज में, पिता के बड़े भाई को पिता के समान और माँ की बहन को माँ (मौसी) के समान माना जाता है। रैडक्लिफ–ब्राउन इसे वर्गीकृत शब्दावली कहते हैं, जिसमें उम्र, जेंडर और वरिष्ठ होने के आधार पर भेद बरता जाता है (जैसा कि हम भारतीय समाज में पिता के बड़े भाई और छोटे भाई के के संदर्भ में पाते हैं)। ब्राउन

लेविरेट (भाई की विधवा के साथ शादी), सोरोरेट (पत्नी की बहन के साथ शादी), सोरोरल बहुपत्नी (दो या दो से अधिक बहनों के साथ की शादी) और एडेल्फिक बहुपति (दो या दो से अधिक भाइयों की शादी) की प्रथाओं को सिबलिंग (भाई–बहन) एकजुटता से जोड़कर देखते हैं।

1.2.4 सी. लेवी–स्ट्रास

क्लॉड लेवी–स्ट्रॉस ने विवाह और गठबंधन की बुनियाद के संबंधों/बंधनों की संरचनात्मक महत्ता का रेखांकन कर नातेदारी अध्ययन में अपना योगदान दिया। अपनी प्रसिद्ध किताब एलीमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप में उन्होंने विवाह के माध्यम से स्त्रियों के लेन–देन के चलन की बात की है। उनका मानना है कि प्रत्येक समाज की अपनी अलग नातेदारी प्रणाली होती है और नातेदारी प्रणाली को समाज के अन्य पक्षों से अलग करके देखना चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा कि, "नातेदारी प्रणाली, विवाह संबंधी नियम और वंश समूह एक समन्वित पूर्ण इकाई का गठन करते हैं, जिसका कार्य अंतर–समूहीय वैवाहिक और रक्त संबंधों के माध्यम से सामाजिक समूह का स्थायित्व सुनिश्चित करना है। उन्हें एक ऐसे तंत्र का खाका माना जा सकता है, जो महिलाओं को उनके अपने परिवारों से बाहर निकाल कर विवाह के माध्यम से दूसरे परिवारों में पुनर्वितरित करता है। नतीजतन नए रक्त समूह वजूद में आते हैं"(लेवी–स्ट्रॉस 1967, : 302–303)।

इसके अलावा, लेवी–स्ट्रॉस के लिए नातेदारी की मूल इकाई सिबलिंगशिप (भाई–बहन–संबंध) थी। दो भाई–बहनों के बीच के रिश्ते पर आधारित इस सिद्धांत के मुताबिक दुनिया भर के सभी समाजों में नातेदारी प्रणाली कुछ सार्वभौमिक संगठनात्मक नियमों, जैसे कि अगम्यागमन (इनसेस्ट), बहिर्विवाह, विवाह के बाद के आवास स्थल आदि पर आधारित रहती है। स्ट्रॉस विवाह को नातेदारी की प्रणाली की कुंजी के रूप में देखते हैं, जिसमें प्रजनन एक अनिवार्य पहलू है। स्नाईडर और बून ने जुलू जैसे समाजों का हवाला देते हुए स्ट्रॉस के सूत्रीकरण पर सवाल उठाए। जुलु समाज में विवाह दो महिलाओं के बीच होता है। भले ही, पुरुष से उन्हें गर्भ ठहरता हो। इसी तरह, मैदानी इंडियन्स (अमेरिका और कनाडा के विशाल

मैदानों में बसे अमेरिकी मूल–निवासियों) के बीच विवाह अक्सर पुरुषों और विपरीत–जेंडर वेशधारी (ट्रांसवेस्टाइट्स) के बीच होता है।

1.2.5 जैक गुडी

जैक गुडी की किताब द ओरिएंटल, द एंसिएंट एंड प्रिमिटिव (1990), पूर्व–अद्योगिक समाजों की नातेदारी और विवाह पर केंद्रित है। इसमें उन्होंने ओरिएंट – चीन, तिब्बत, भारत श्रीलंका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों की नातेदारी प्रणालियों पर विचार किया है। गुडी ने उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के मानववैज्ञानिक अध्ययनों की इस आधार पर आलोचना की कि उनमें आदिम समाजों के लेंस से पूरब की नातेदारी प्रणाली का विश्लेषण किया गया और इस तरह, पूरब और पश्चिम के बीच के विभाजन को और भी बढ़ावा दिया गया।

गुडी एशियाई कृषि समाजों में विवाह की अवधारणा और महिलाओं की भूमिका पर पुनर्विचार करते हैं। उनका कहना है कि इन समाजों में महिलाओं की कथित भूमिका पश्चिमी समाजों से इन समाजों को अलग करती है। लेवी–स्ट्रॉस के महिलाओं के विनिमय की धारणा का जिक्र करते हुए वे कहते हैं कि इस तरह के सिद्धांतीकरण ऐसा अहसास कराते हैं कि इनमें महिलाओं की अपनी कोई एजेंसी नहीं होती है और वे विवाह के जरिए कायम किए जाने वाले गठबंधन में महज मोहरा होती हैं। गुडी की दलील है कि स्थिति ऐसी है नहीं बल्कि ठीक विपरीत, पूरब (चीन, भारत और मध्य पूर्व) के पितृवंशीय समाजों में विवाहित महिलाओं के अपने मायके में नैतिक और भौतिक अधिकार होते हैं। वे लिखते हैं कि महिलाओं का वैवाहिक परिवार द्वारा पूर्ण रूप से शामिल कर लिए जाने का तात्पर्य यह निकाला जाता है कि वे अपने जन्म–परिवार से एकबारगी अलग हो जाती हैं। पश्चिमी मानवविज्ञानियों के इस अवलोकन को गुडी सही नहीं मानते हैं। हालाँकि वे इस बात को स्वीकार स्वीकार करते हैं कि एशियाई पितृवंशीय समाजों में जेंडर–आधारित असमनताएं मौजूद हैं,लेकिन उनके और पश्चिमी समाजों के बीच भेद उतना व्यापक नहीं हैं।

गुडी के काम को लेवी–स्ट्रॉस और मॉर्गन की आलोचना के रूप में देखा जाता है, जो गुडी के अनुसार आदिम समाजों के अध्ययन के लिए सोचे गए मॉडल और अवधारणाओं का जटिल और विषमता भरे समाजों के अध्ययन के लिए उपयोग करते हैं। गुडी लिखते हैं कि किसी भी समाज की नातेदारी प्रणाली का अध्ययन अपूर्ण माना जाएगा यदि उसकी उत्पादन पद्धति, राज्य और न्यायपालिका के प्रभाव तथा धर्म के संदर्भ में पड़ताल न की जाए। पेलेज (1995) लिखते हैं कि यह गुडी और उनका नया दृष्टिकोण था जिसने नातेदारी प्रणाली के अध्ययन को नया जीवन प्रदान किया। वे आगे कहते हैं कि गुडी की अध्ययन पद्धति वर्ग, जाति और धर्म के कारण नातेदारी प्रणालियों में जो भिन्नता आती है, उसे समझाने में उपयोगी है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग शिशु हत्या, बहुपत्नी, बहुविवाह, दत्तक ग्रहण आदि प्रथाओं को समझने के लिए भी किया जा सकता है।

बोध प्रश्न

1) रेडक्लिफ–ब्राउन के अनुसार कबीला और वंश में क्या अंतर है ?

.....

.....

.....

2) मॉर्गन के अनुसार नातेदारी को समझने के लिए .....का अध्ययन कुंजी–सा है।

3) एफाइनल (रक्त–संबंध) संबंध.....पर आधारित होता है जबकि कोंसेंगुइनल संबंध .....पर आधारित होता है।

1.3 नातेदारी अध्ययन : भारतीय परिप्रेक्ष्य

भारत में नातेदारी अध्ययन में भारतीय समाज की विविधता और क्षेत्र–दर–क्षेत्र नातेदारी संगठन में भिन्नता की बात दिखलाई देती है। भारतीय मानवविज्ञानियों पर मलिनोस्की और रिवर्स जैसे पश्चिमी मानवविज्ञानियों का प्रभाव रहा है। 1940 से 70 के दौरान घुर्ये, श्रीनिवास, कपाड़िया, शाह, गोर और कर्वे जैसे मानवविज्ञानियों की अगुआई में नातेदारी का विषय शोध के प्रमुख विषयों में से एक था। लेकिन नातेदारी का अध्ययन गाँव, जाति और धर्म के संदर्भ में किया जा रहा था। केवल नातेदारी का अध्ययन शायद ही हो रहा था।

1.3.1 जी. एस. घुर्ये

अपनी किताब फैमिली एंड किन इन इंडो–यूरोपियन कल्चर (1955) में जी.एस. घुर्ये ने इंडो–आर्यन, ग्रीक और लैटिन संस्कृतियों में नातेदारी शब्दावली और संबद्ध व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया है। उल्लेखनीय है कि नातेदारी, परिवार, विवाह पर शुरुआती अध्ययन फील्ड वर्क या एथनोग्राफी पर आधारित न होकर साहित्यिक, पौराणिक और धार्मिक–कानूनी स्रोतों पर आधारित था, जिसे इंडोलॉजिकल (भारतविद्या) फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। घुर्ये का अगला अध्ययन *टू ब्राह्मणकल इंस्टीच्युशंस : गोत्र एंड चरण* (1972) भी इंडोलोजिकल फ्रेमवर्क से ही किया गया। घुर्ये के छात्र के.एम. कपाड़िया ने उन्हीं का अनुसरण किया। उनकी किनशिप (1947) नामक किताब ब्राह्मण ग्रंथों और नातेदारी के विभिन्न पहलुओं जैसे गार्हस्थ्य, परिजनों के संगठन, विवाह, गोद लेने, उत्तराधिकार, विरासत और मृत्यु से जुड़ी अशुद्धियों पर, उन ग्रन्थों के कथनों का विस्तृत अध्ययन है। अपनी अगली किताब मैरेज एंड फैमिली इन इंडिया (1955) में कपाड़िया ने फील्डवर्क आधारित अध्ययन के लिए टोन सेट किया और फील्ड वर्क से प्राप्त प्राथमिक आंकड़ों, मुसलमान और आदिवासी समुदायों के छूट जाने की कमी की तरफ ध्यान दिलाया।

1.3.2 इरावती कर्वे

इरावती कर्वे नातेदारी पर अपने व्यापक अध्ययन के लिए जानी जाती हैं। भारत में नातेदारी को समझने के लिए उन्होंने देश को भाषा के आधार पर चार मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और मध्य। उन्होंने स्वीकार किया कि नातेदारी व्यवहार और पैटर्न किसी भी क्षेत्र में भी समरूप नहीं है। उसमें गाँव और जाति के आधार पर भिन्नता पाई जा सकती है। नातेदारी की कर्वे द्वारा गिनाई गई कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

उत्तरी क्षेत्र: कर्वे ने पाया की इस क्षेत्र में, उत्तर भारत में, रक्त और एफाइनल संबंधों के लिए शब्द हैं। मौजूदा संबंधों की तीन पीढ़ियों के लिए प्राथमिक शब्द हैं और एक पीढ़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द दूसरी पीढ़ी में उपयोग नहीं किए जा सकते। उन्होंने पाया की ब्राह्मणों और दूसरी ऊँची जातियों में चार–गोत्र (शासन) नियम, अर्थात, पिता, माता, दादी और नानी के गोत्रों से परहेज, का पालन किया जाता है। हालाँकि, कुछ मध्यवर्ती और अधिकांश निचली जातियाँ, दो–गोत्र (पिता और माता के) नियम का ही पालन करती हैं।

मध्य क्षेत्र: नातेदारी संगठन के संदर्भ में कर्वे उत्तर और मध्य क्षेत्र के बीच बड़ी समानता की बात करती हैं। उत्तर की तरह, यहाँ भी बड़ो के लिए आदरसूचक नातेदारी शब्दों का चलन है। नातेदारी संबंध अक्सर लेन–देन द्वरा चिह्नित होता है। बहिर्विवाह का पालन किया जाता है। हालाँकि इस संदर्भ में वे गुजरात का हवाला देती हैं, जहाँ कुछ समुदायों में माता के भाई (मामा) के साथ विवाह के साथ–साथ लेविरेट (मृत पति के भाई से विवाह) का चलन है। कर्वे यह भी बताती हैं की मराठा और कुनबी जैसी जातियों में दहेज और कन्या–शुल्क दोनों प्रचलित हैं। वे लिखती हैं कि महाराष्ट्र की नातेदारी प्रणाली पर उत्तर और दक्षिण दोनों ही क्षेत्रों का प्रभाव दिखता है।

दक्षिणी क्षेत्र: दक्षिणी क्षेत्र बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि यहाँ जो नातेदारी प्रणाली है वह आम तौर पर उत्तर या मध्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। दक्षिणी क्षेत्र का अध्ययन इस लिहाज से तनिक जटिल हो जाता है कि यहाँ कुछ समाजों में पितृस्थानिक और पितृवंशीयता का चलन है तो कुछ समाजों में मातृस्थानिक और

मातृवंशीयता का (जैसे कि केरल के नायर, जिनके बारे में हम अगली इकाइयों में विस्तार से बात करेंगे)।

दक्षिण में क्रॉस कज़िन विवाह को तरजीह दिया जाता है यानी भाई और बहन के बच्चे आपस में विवाह कर सकते हैं। इस तरह, जन्म–परिवार और विवाह–परिवार के बीच जो सख्त अलगाव उत्तर और मध्य भारतीय नातेदारी प्रणाली में पाया जाता है वह दक्षिण भारतीय नातेदारी प्रणाली में मौजूद नहीं है। दक्षिण भारतीय नातेदारी में बच्चों के माध्यम से भाई और बहन के बीच रिश्तेदारी पर जोर है।

पूर्वी क्षेत्र : इस क्षेत्र में कई ऑस्ट्रो–एशियाटिक जनजातियाँ हैं। मुंडारी भाषियों के परिवार पितृस्थानिक और पितृवंशीय हैं। हो और संथालों में क्रॉस–कजिन विवाह की प्रथा है। लेकिन जब तक पिता की बहन या माँ के भाई जीवित हैं तब तक वे अपनी बेटियों की शादी आपस में नहीं कर सकते। इस शर्त के कारण क्रॉस–कजिन विवाह का चलन कम ही है। हो और मुंडा की तरह कई जनजातियाँ बहिर्विवाही टोटेमिक समूह के रूप में वर्गीकृत हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें विवाह अपने टोटेमिक समूह या कबीले के बाहर करना होता है। कुछ जनजातियों में कन्या–शुल्क का प्रचलन है। इस क्षेत्र में केरल के नायरों की तरह मातृवंशीय समुदाय भी हैं। लेकिन यहाँ पति और पत्नी अपने घर में रहते हैं और संपत्ति की उत्तराधिकारी सबसे छोटी बेटी होती है। खासी लोग कबीला–बहिर्विवाही होते हैं। इनमें समानांतर चचेरे भाई–बहन के विवाह की अनुमति नहीं है। क्रॉस–कजिन विवाह का चलन भी न के बराबर ही है।

1.3.3 टी. एन. मदान

प्रो. मदान का कश्मीरी पंडितों पर किया गया अध्ययन *फैमिली एंड किनशिप : अ स्टडी ऑफ द पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर* भारत में नातेदारी के बारे में एक अग्रणी काम है। यह 1957–58 में उतरासु–उमानागरी गाँव में उनके किए फील्ड वर्क पर आधारित है। उनके मुताबिक पंडितों के नातेदारी संस्कार संस्कृतीय और गैर–संस्कृतीय संस्कारों और रस्मों का मिश्रण है।

कश्मीरी पंडित दो मुख्य उपजातियों – गौड़ (पूजा–पाठ कराने वाले) और कारकुन (इन्हें मोटे तौर पर कामगार या मजदूर कह सकते हैं) में विभाजित हैं। ये दोनों उपजातियां आपस में विवाह नहीं कर सकती हैं। विवाह उपजाति के भीतर (अंतर्विवाह) और गोत्रों के बाहर (बहिर्विवाह) किया जाता है। धर्म के बाहर विवाह को प्रदूषणकारी माना जाता है। यदि कोई अच्छा सगोत्री रिश्ता मिल जाए ऐसी स्थिति में माता का भाई जो कि भिन्न गोत्र का होता है, कन्या देने की रस्म निभाता है और इस तरह, गोत्र सिद्धांत एक तरह से उल्लंघन करते हुए। उनके बीच ग्राम बहिर्विवाह (गाँव के भीतर विवाह पर निषेध) का भी प्रचलन था। पारस्परिक विवाह आम थे, जिसमें बेटी दी जाती है और उसके बदले में उसके वैवाहिक परिवार से बहू लाई जाती है। मदान लिखते हैं कि इनके अलावा कन्या–शुल्क वाली विवाह–प्रथा भी प्रचलित थी। इस तरह के विवाह में कन्या–पक्ष द्वारा दहेज देने की बजाय वर–पक्ष की तरफ से ही एक निश्चित रकम दी जाती थी।

मूल इकाई को गृह या चूल्हा कहा जाता था। परिवार में दादा–दादी, भाई और उनके बच्चे शामिल थे। माता–पिता की अनुपस्थिति में परिवार का सबसे बड़ा भाई पैट्रियार्क की भूमिका निभाता था और अपने छोटे भाइयों के बच्चों के लिए अक्सर निर्णय लिया करता था। वहीं, कुटुंब का प्रयोग विस्तारित परिजनों के समूह के लिए किया जाता था।

मदान एक और अवधारणा कोल की बात करते हैं और उसे नातेदारी संरचना की रीढ़ मानते हैं। उनके अनुसार कोल पितृवंशीयता (पिता के परिजनों के माध्यम से वंश) पर आधारित है। हालाँकि पत्नियाँ परिजनों और पारिवारिक जीवन में सक्रिय भाग लेती हैं, लेकिन विवाह के बाद मायके से उनका संबंध करीबी नहीं रह जाता था। मदान लिखते हैं कि पति पत्नियों के परिजनों को अपना परिजन नहीं मानते। पत्नी के मायके और ससुराल के परिवार के बीच के संबंध में कुछ हद तक असमानता और पदानुक्रम की स्थिति पाई जाती है। मायके वालों से ससुराल वालों के प्रति विनम्र होने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन यदि मायका समृद्ध और मजबूत हो तो वर का परिवार उनसे अपने संबंधों का दिखावा करता है।

मदान बताते हैं कि अपने फील्ड वर्क के दौरान उन्हें पंडितों के बीच लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रह देखने को मिले। उन्होंने ऐसी कहावतों और मुहावरों का उल्लेख किया

जिनमें बेटी के जन्म लेने पर उदासी और दुख प्रकट किए गए हैं तथा बेटे के जन्म लेने पर खुशियाँ मनाई गई है। लड़कियों से अपेक्षा की जाती है कि वे घर के काम में अपनी माँ की मदद करें। उनमें से अधिकांश शिक्षा से वंचित रखी जाती थीं।

ग्रामीण कश्मीरी पंडितों की नातेदारी प्रणाली के कई ऐसे पहलू हैं जो उनके परिवार को अनूठा बनाते हैं। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र संपत्ति का आपस में बंटवारा कर सकते हैं, कारण माता का संपत्ति में कोई हक नहीं होता। यह एक अनूठी बात है क्योंकि अधिकांश समाजों में पति की मृत्यु के बाद विधवा संपत्ति का स्वाभाविक उत्तराधिकारी होती है। दूसरी विशेषता यह है कि यदि बहन शादीशुदा है और ससुराल में रहती है तो मायके की संपत्ति में उसके या उसके बच्चों का कोई अधिकार नहीं बनाता। लेकिन विवाह के टूटने या विधवा होने के कारण यदि वह मायके में रह रही होती है तो उसका संपत्ति में हक होता है, लेकिन उसके बच्चों का नहीं। अधिकांश समुदायों में हम मामा का विशेष उल्लेख पाते हैं। लेकिन पंडितों में पिता की बहन बच्चे के जन्म के समय की रस्मों में महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक भूमिका निभाती है। वह बर्च के पेड़ की छाल को जलाकर और बच्चे (भतीजी या भतीजे) को आशीर्वाद देकर रस्मों का नेतृत्व करती है।

मदान बताते हैं कि पंडितों के बीच नातेदारी की अवधारणा के मूल में जन्म–कुल और विवाहित–कुल के बीच भेद बरतने का विचार काम करता है। यही वजह है कि जहाँ पत्नी से विवाहित परिवार में रच–बस जाने की अपेक्षा की जाती है, वहीं उसका पति उसके जन्म–परिवार (मायके) में अतिथि माना जाता है। लेकिन उसका अपनी पत्नी के परिवार में कोई भी वैधानिक या अनुष्ठानिक अधिकार नहीं होता है। हाँ, माता के मायके और उसके बच्चे के बीच के संबंधों के चलते समय के साथ कुछ ऐसी रस्में वजूद में आती हैं जिसमें पिता की भी संलग्नता रहती है।

1.3.4 एम. एन. श्रीनिवास

एम. एन. श्रीनिवास भारतीय मानवविज्ञान के प्रणेताओं में से एक हैं। उनके एम.ए. की थीसिस का विषय मैरिज एंड फैमिली एमंग कन्नड कास्ट इन मैसोर (1942) था। इसमें उन्होंने न केवल नातेदारी शब्दावली का बल्कि कन्या–शुल्क, दहेज आदि

जैसी वैवाहिक रस्मों के साथ–साथ पारिवारिक बुनावट का भी अन्वेषन किया। उनकी दूसरी किताब रिलीजन एंड सोसाइटी आमोंग कूर्ग्स कूर्ग समाज के बीच किए गए गहन फील्ड वर्क पर आधारित है। इसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर नातेदारी पर तो विचार नहीं किया है लेकिन वंश के बारे में चर्चा की है। कूर्ग आवास–गृह के बारे में लिखते हुए श्रीनिवास कहते हैं की पैतृक जमीन पर बने कूर्ग घरों में कभी–कभी लगभग 250–300 लोग हो सकते हैं। श्रीनिवास ने कूर्ग के एक गाँव के जीवन, धार्मिक–मान्यताओं, अनुष्ठानों और समारोहों, पारिवारिक जीवन और संरचना तथा वंश की जानकारी दी है। उनका कूर्गों के बारे में एक दिलचस्प अवलोकन यह है कि वे किसी भी वैदिक प्रथाओं या अनुष्ठानों का पालन नहीं करते थे। वे आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली थे। पैतृक संपत्ति को धार्मिक/पवित्र माना जाता था और प्रत्येक इस्टेट में एक पैतृक पुण्य–स्थल (मंदिर–जैसा) होता था।

कूर्गों में **पितृवंशीय** (जिसमें वंश परिवार के पुरुष पक्ष के माध्यम से चलता है) और **पितृस्थानिक** (विवाहित जोड़े का पति के परिवार के साथ रहने की अपेक्षा का चलन)) व्यवस्था का चलन है। कूर्ग समाज में मूल इकाई ओक्का है। हमने लगभग 250 सदस्यों वाले घर के बारे में ऊपर उल्लेख किया है। श्रीनिवास ने कूर्ग परिवार की संरचना की तुलना नायरों के मातृवंशीय घर तारवाड़ और नंबुदरियों के पितृवंशीय घर इलाम से किया है। हर गाँव का अपना मुखिया होता है और यह पद वंशानुगत होता है। मुखिया के साथ ही बुजुर्गों की एक परिषद भी होती है। कूर्ग इस हद तक पितृवंशीय होते हैं कि केवल पुरुष सदस्यों का ही पैतृक इस्टेट में अधिकार बनता है और ओका का उत्तराधिकार बेटे को मिलता है। ओका में पुरुषों और महिलाओं के बीच बड़ा विभाजन है। दोनों ही जेंडरों के लिए अलग–अलग जगहें (भौगोलिक) निर्दिष्ट हैं। बरामदा पुरुषों द्वारा उपयोग किया जाता है और महिलाएँ अपने मेहमानों से मिलने के लिए रसोई या अन्य भीतरी कमरों का उपयोग करती हैं। विवाह के बाद महिलाएं अपने जन्म–ओका का सदस्य नहीं रह जातीं और न ही उनका वहाँ कोई अधिकार बनता है। विधवा होने पर पुनर्विवाह की रीति है। कूर्गों में लेविरेट (विवाह प्रथा जिसमें विधवा विवाह पति के भाई किया जाता है)। दिलचस्प है, पुरुषों के लिए शिकार करना सीखना जरूरी है, लेकिन उन्हें नृत्य करना भी पसंद है, जिसका प्रदर्शन वे फसल कटाई के अवसर पर होने वाले

उत्सवों और अन्य धार्मिक त्योहारों के अवसर पर करते हैं। जबकि महिलाएँ दूर से देखती हैं।

(कूर्ग पुरुषों का उत्सव या त्योहार के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य।स्रोत : wikicommons)

बोध प्रश्न 2

1) भारत में शुरुआती वर्षों में नातेदारी अध्ययन के प्रमुख स्रोत .....और..... ..... थे।

2) दो मातृवंशीय भारतीय समाजों/समुदायों के नाम बताएँ।

.....

.....

.....

3) भारतीय और पश्चिमी नातेदारी अध्ययन के बीच दो प्रमुख अंतर क्या थे?

.....

.....

.....

1.4 नातेदारी अध्ययन और जेंडर

नातेदारी संबंधी शुरुआती अध्ययन शब्दावली, परिवार संगठन, उत्तराधिकार, वंश और रिश्तों पर केंद्रित रहे। बाद के दिनों में, मार्क्सवाद, उत्तर आधुनिक और नारीवाद जैसे कई नए दृष्टिकोण नातेदारी के अध्ययन से जुड़े। मार्क्सवादी और नारीवादी दृष्टिकोण ने नातेदारी प्रणाली में अंतर्निहित असमानताओं की तरफ ध्यान दिलाया। मिसाल के लिए, कन्या–शुल्क, जेंडर–सापेक्ष विशेष रस्में, उपहार देना और उसकी प्रकृति, नेतृत्व आदि। जब हम महिलाओं और नातेदारी की बात करते हैं, तो हम अनिवार्य रूप से परिवार, विवाह, संपत्ति के अधिकार, वंश और उत्तराधिकार में उनकी जगह और भूमिका की बात कर रहे होते हैं।

भारत की अग्रणी मानवविज्ञानी लीला दुबे ने जेंडर और नातेदारी के बीच के संबंध को अपने आत्मवृत्त के माध्यम से उजागर किया है। दुबे याद करते हुए बताती हैं कि लड़कियों से वैवाहिक जीवन के लिए तैयार होने के लिए कैसे घरेलू काम करने की अपेक्षा की जाती थीं। अकेली (अविवाहित) महिला का मिलना दुर्लभ था। लेकिन साथ ही, दुबे ने अपने कई शिक्षकों का भी उल्लेख किया है जो अविवाहित रहीं। वह कहती हैं कि उनके सांस्कृतिक संदर्भ में महिलाओं को इसलिए शिक्षा दी जाती थी कि वे वैधव्य जैसी अप्रत्याशित स्थितियों का सामना कर सकें। धर्म और अन्य रीति–रिवाजों के माध्यम से महिलाओं को उनकी अपेक्षित भूमिका के लिए समाजीकृत किया जाता था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि महिलाओं को विवाह के बाद अपने मायके जाने की अनुमति नहीं थी और न ही वर के परिवार द्वारा वधू के परिवार का स्वागत किया जाता था। नातेदारी की प्रणाली स्पष्ट रूप से पुरुषों के पक्ष में थी जिसमें पितृस्थानिकता और पति के परिजनों को केन्द्रीयता प्राप्त थी।

गोंड समाज में फील्डवर्क के दौरान दुबे को एक अलग तरह की नातेदारी प्रणाली देखने को मिली। उनमें विधवाओं के पुनर्विवाह का और दहेज की बजाय कन्या शुल्क का चलन था। दुबे ने पाया कि गोंड महिलाओं को उच्च जातियों की महिलाओं की तुलना में अधिक आजादी प्राप्त थी। लेकिन साथ ही, उन्होंने यह भी पाया कि वृद्ध महिलाएं, जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था, अपने बच्चों पर निर्भर थीं और उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी अधिक उम्र के बावजूद परिवार की देखभाल में सहयोग करें। इस तरह हम पाते हैं और जैसा कि अन्य समाजों के अध्ययनों में और भी मानवविज्ञानियों ने पाया है कि आय या जमीन पर हक न होने से नातेदारी प्रणाली में महिलाओं की भूमिका प्रभावित होती है।

जेंडर का एक और पहलू, जिसे काफी हद तक अमेरिकी समाजशास्त्रियों द्वारा पता लगाया गया है, परिवार की अवधारणा पर समलैंगिक संबंधों का प्रभाव है। शोधकर्ताओं का कहना है कि परिवार की हमारी वर्तमान समझ में पुरुष–महिला और बच्चे शामिल हैं। लेकिन इसमें समलैंगिक युगल फिट नहीं बैठते हैं। तब जो सवाल सामने आता है वह यह कि नातेदारी को तब हम कैसे परिभाषित करें जब संदर्भ में हमारी पारंपरिक समझ आधारित परिवार, प्रजनन या वंश न हों। समलैंगिक संबंधों पर आधारित परिवार यह सवाल उठाता है कि क्या नातेदारी केवल रक्त संबंधों या आनुवंशिकी द्वारा परिभाषित की जा सकती है?

गतिविधि 1

परिवार के बड़े–बुजुर्गों से पूछकर और पुराकथाओं के आधार पर बेटी के जन्म लेने को लेकर प्रचलित धारणाओं, विश्वासों और कहावतों को लिखें और स्टडी सेंटर में उसकी तुलना इस विषय में दूसरों द्वारा जुटाई गई जानकारी से करें।

बोध प्रश्न 3

1) जिस घर में महिला जन्म लेती है उसे.....कहा जाता है और जिस घर में उसेका विवाह होता है उसे.....कहा जाता है।

2) .....और.....जैसे वैवाहिक व्यवहार जेंडर असमानता की तरफ इशारा करते हैं।

3) .....समाज के अध्ययन से लीला दुबे को नातेदारी में जेंडर संबंधों का दूसरा रूप देखने को मिला।

1.5 सारांश

इस इकाई में पश्चिम और भारत में नातेदारी अध्ययन के विकास का खाका खींचा गया। लुई मॉर्गन ने नातेदारी का एक औपचारिक अध्ययन शुरू किया, जो नातेदारी शब्दावली पर केंद्रित था। बाद के रैडक्लिफ–ब्राउन जैसे मानवविज्ञानी ने न केवल नातेदारी शब्दावली बल्कि संबंधों और विश्लेषण–पद्धति पर भी विचार किया। यह लेवी–स्ट्रॉस थे जिन्होंने अमूर्त मॉडलिंग और महिलाओं के आदान–प्रदान को केंद्र में लाकर नातेदारी–अध्ययन का तरीका ही बदल कर रख दिया। भारत में, नातेदारी का अध्ययन भारतीय समाज अध्ययन के व्यापक पहलू का एक हिस्सा था। नातेदारी का अध्ययन परिवार और विवाह के अध्ययन के साथ किया जाता था, जो हमें घुर्ये, कर्वे, मदान और श्रीनिवास के कार्यों में दिखलाई देता है। लेकिन मुख्य अंतर यह था कि पश्चिम के विपरीत भारत में नातेदारी पर शुरुआती अध्ययन साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित था। हाल के दिनों में, जेंडर, श्रम–विभाजन, समलैंगिक संबंध आदि पर भी विचार करने के लिए नातेदारी अध्ययन का दायरा बढ़ाया गया है। परिजनों के बीच महिलाओं की भूमिका न केवल व्यक्तियों, बल्कि परिवारों के बीच संबंधों की प्रकृति पर भी प्रभाव डालती है।

1.6 संदर्भ

क्लाउड लेवी–स्ट्रॉस, सी (1965), द फ्यूचर ऑफ किनशिप स्टडीज, *द प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड*, नंबर 1965, पृष्ठ 13–22

दुबे, लीला (2000), डूइंग किनशिप एंड जेंडर : एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट, *इकोनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, भाग 35, संख्या 46, पृष्ठ 4037–4047

गणेश, के (2013), न्यू वाइन इन ओल्ड बोटल्स? फैमिली एंड किनशिप स्टडीज इन द बंबई, *सोसियोलोजीकल बुलेटिन*, खंड, 62, संख्या 2, पृष्ठ 288–310

जे. एच. एम. बीएट्टी और रोडनी नीधम (1975), रेडक्लिफ–ब्राउन्स किनशिप स्टडीज, *मैन*, खंड 10, संख्या1, पृष्ठ 131–132

जेम्स ए. बून और डेविड एम. श्नाइडर (1974), किनशिप वर्सस मिथ कंट्रास्ट्स इन लेवी–स्ट्रॉस अप्रोचेज टू क्रॉस–कल्चरल कम्पेरिजन, *अमेरिकन एंथ्रोपोलोजिस्ट*, खंड 76, संख्या 4, पृष्ठ 799–817

लेवाइन, एन. (2008), अल्टर्नेटिव किनशिप, मैरेज एंड रिप्रोडकसन, *एनुअल रिव्यू ऑफ एंथ्रोपोलोजी*, खंड 37, पृष्ठ 375–389

मार्शल साहलिन्स, एम। (2011), व्हाट इज किनशिप (भाग 2), *द जर्नल ऑफ़ द रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट*, खंड 17, संख्या 2, पृष्ठ 227–242

माइकेला डि लियोनार्डो (1979), मेथोडोलोजी एंड द मिसइंटरप्रेटेशन ऑफ विमेन्स स्टेटस इन किंसशिप स्टडीज : अ केस स्टडी ऑफ गुडएनफ एंड डिफिनिशन ऑफ मैरेज, *अमेरिकन एथनोलोजिस्ट*, खंड 6, संख्या 4, पृष्ठ 627–637

माइकल जी.पेलेट्ज़, माइकल जी (1995), किनशिप स्टडीज इन लेट ट्वेंटीथ सेंचुरी एंथ्रोपोजी, *एनुअल रिव्यू ऑफ एंथ्रोपोलोजी*, खंड 24, पृष्ठ 343–372

ओटेनहाइमर, एम. (2001), द करेंट कंट्रोवर्सी इन किनशिप, *चेक सोशियोलॉजिकल रिव्यू*, खंड 9, संख्या 2, पृष्ठ 201–210

रेडक्लिफ–ब्राउन, ए.आर. (1941), द स्टडी ऑफ किनशिप सिस्टम्स, *द जर्नल ऑफ रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड*, खंड 71, संख्या 12, पृष्ठ 1–18

राउल मैकरिस, इत्यादि (1977), एन्सिएंट सोसाइटी एंड मॉर्गन्स किनशिप थियरी वन हंड्रेड ईयर्स आफ्टर, *करेंट एंथ्रोपोलोजी*, खंड 18, संख्या 4, पृष्ठ 709–729

सिस्काइंड, जे. (1978), किनशिप एंड मोड ऑफ प्रोडकसन, *अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट*, खंड 80, संख्या 4, पृष्ठ 860–872

श्रीनिवास, एम.एन. (1951), द सोसल स्ट्रक्चर ऑफ अ मैसूर विलेज, *द इकोनॉमिक वीकली*, 30 अक्टूबर

श्रीवास्तव, ए.आर.एन. (2011), नातेदारी का मानवविज्ञान : अ क्रिटिक, इंडियन एंथ्रोपोलोजिस्ट, खंड 41, संख्या 41, पृष्ठ 77–84

ट्रॉटमैन, टी. आर. (2000), इंडिया एंड द स्टडी ऑफ किनशिप टर्मिनोलोजीस, *L'Homme*, संख्या 154 / 155, Question de parenté,, पृष्ठ 559–571

1.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1 के उत्तर

1) रेडक्लिफ–ब्राउन के अनुसार, कबीला आम तौर पर ऐसे लोगों का एक समूह होता है, जिसके सदस्य किसी सामान्य पूर्वज के आधार पर एक परिजन समूह से जुड़े होने का दावा करते हैं। हो सकता है कि इस तरह के किसी पूर्वज का वजूद कभी न रहा हो। वहीं, वंश में ऐसे लोग होते हैं जो अपने सामान्य पूर्वज की पहचान कर सकते हैं यानी इस मामले में पूर्वज वास्तविक होता न कि मिथकीय या कल्पित।

2) मॉर्गन के अनुसार नातेदारी को समझने के लिए नातेदारी शब्दावली का अध्ययन कुंजी–सा है।

3) एफाइनल संबंध रक्तेतर / गैर–रक्त संबंधों पर आधारित होता है जबकि कोंसेंगुइनल संबंध रक्त–संबंधों पर आधारित होता है।

बोध प्रश्न 2 के उत्तर

1) भारत में शुरुआती वर्षों में नातेदारी अध्ययन के प्रमुख स्रोत धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथ थे।

2) दो मातृवंशीय भारतीय समाजों/समुदायों के नाम – खासी और नायर हैं।

3) भारतीय नातेदारी अध्ययन परिवार और विवाह तथा अक्सर जाति और गाँव पर भी केन्द्रित रहा है। शुरुआत में भारतीय नातेदारी अध्ययन फील्डवर्क पर आधारित नहीं था। वहीं, पश्चिम में, नातेदार अध्ययन फील्डवर्क पर आधारित था और उसे परिवार और विवाह के अध्ययन से अलग करके देखा जाता था।

बोध प्रश्न 3 के उत्तर

1) जिस घर में महिला जन्म लेती है उसे मायका या जन्म–परिवार कहा जाता है और जिस घर में उसेका विवाह होता है उसे ससुराल या विवाह–परिवार कहा जाता है।

2) दहेज और कन्या–शुल्क जैसे वैवाहिक व्यवहार जेंडर असमानता की तरफ इशारा करते हैं।

3) गोंड समाज के अध्ययन से लीला दुबे को नातेदारी में जेंडर संबंधों का दूसरा रूप देखने को मिला।

इकाई 2 मूलभूत अवधारणाएँ

संरचना

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 परिवार

2.21 परिवार के प्रकार

2.2.2 परिवार के कार्य

2.2.3 आवास के प्रारूप और परिवार

2.3 विवाह

2.3.1 विवाह की अवधारणा

2.3.2 विवाह के प्रकार

2.4 वंश क्रम और वैवाहिक संबंध (नाते–रिश्ते)

2.5 सारांश

2.6 संदर्भ

2.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप कर पाएंगे

- परिवार और विवाह को परिभाषित कर सकेंगे;
- परिवार और विवाह के विभिन्न प्रकारों को वर्गीकृत कर सकेंगे;

- वंश क्रम और वैवाहिक संबंध की अवधारणाओं के रूप में व्याख्या कर सकेंगे;

2.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आपको उन विभिन्न परिप्रेक्ष्यों/दृष्टिकोणों की जानकारी दी गई जिनके द्वारा नातेदारी का अध्ययन किया जाता है और उसे समझा जाता है। चूँकि नातेदारी अध्ययन समाजशास्त्रीय और मानवशास्त्रीय अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए नातेदारी की प्रमुख अवधारणाओं पर कई अध्ययन हैं। इस इकाई में, हम नातेदारी में प्रयुक्त की जाने वाली बुनियादी अवधारणाओं, जैसे – परिवार, विवाह, वंश क्रम और वैवाहिक संबंध पर विचार करेंगे। आइए, हम परिवार की अवधारणा के साथ शुरुआत करते हैं।

2. 2 परिवार

परिवार सबसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं में से एक है। दुनिया की ज्यादातर आबादी पारिवारिक इकाईयों में रहती है। किसी परिवार के भीतर पाए जाने वाले विशिष्ट रूप और व्यवहार के प्रारूप में समय के साथ विविधताएँ पाई गई हैं। ऐसा केवल दुनिया भर के विभिन्न समाजों के भीतर नहीं बल्कि एक समाज विशेष के भीतर भी पाया गया है। एक समाजशास्त्री किसी संस्था को उसके आदर्श रूप

(ideal type) और मौजूदा वास्तविक रूप, दोनों ही लिहाज से देखता/देखती है। वह पारिवारिक प्रणाली के आदर्श को आंशिक रूप से स्वीकार करके चलते हैं, क्योंकि एक तो वे व्यवहार के मार्गदर्शक होते हैं और दूसरे, इसलिए भी कि ये आदर्श मूल्यों और मानकों के समुच्चय के रूप में पीढ़ी–दर–पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। परिवार के अध्ययन के लिए कई तरह की पद्धतियों को आजमाने के बाद समाजशास्त्री इमाईल दुर्खीम इस नतीजे पर पहुँचे कि सबसे अच्छी पद्धति रीति–रिवाजों और कानून का एथनोग्राफिक (अनुभवसिद्ध) और ऐतिहासिक के साथ–साथ डेमोग्राफिक (जनसांखीय) अध्ययन है। लेकिन साथ ही उन्होंने इसमें यह बात भी जोड़ी कि एथनोग्राफी से हमें मौजूदा पारिवारिक संगठन की जानकारी मिल

सकती है और इतिहास हमें उसके अतीत के बारे में बता सकता है, लेकिन भविष्य में परिवार क्या रूप लेगा इसके बारे में हम नहीं जान सकते हैं। एक समाजशास्त्री समाज के किसी विशेष समूह के भीतर परिवार के स्वरूप में समय के साथ हुए बदलावों का भी अध्ययन करता/करती है। वह उन कारकों की पहचान करने की भी कोशिश करता/करती है जिनका परिवार के कुछ पक्षों को खास तरीके से बदलने के पीछे हाथ होता है।

नातेदारी प्रणाली में परिवार की जगह केंद्रीय है। इसे सामाजिक संगठन की मूल इकाई के रूप में देखा जाता है। क्या परिवार के बिना समाज की कल्पना की जा सकती है? परिवार को सार्वभौमिक माना जाता है। हालाँकि इस बात पर बहस है कि क्या हर समाज में परिवार की उपस्थिति उसकी विशेषता है और क्या इसे केवल एक खास तरह से ही परिभाषित किया जा सकता है? *सामाजिक संगठन* (1949) नामक अपनी किताब में जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने कहा है कि परिवार की अवधारणा सार्वभौमिक है क्योंकि उन्होंने जिन–जिन समाजों का अध्ययन किया उनमें से लगभग सभी में परिवार किसी–न–किसी रूप में मौजूद था। उन्होंने परिवार को एक ऐसे श्सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जिसका निवास, पुनरुत्पादन और आर्थिक सहयोग साझा हो'। आगे वे जोड़ते हैं कि इसमें दोनों ही लिंगों के वे वयस्क शामिल हैं जिनके बीच समाज–अनुमोदित यौन संबंध हो तथा जिसमें उनके अपने या गोद लिए बच्चे हों। यह परिवार की एक मोटा–मोटी समझ है, जिसका कि यह जरूरी नहीं कि हर समाज अनुपालन करता हो। गुडी (1964) के अनुसार परिवार ऐसे विषयों में से एक है जिस पर सर्वाधिक शोध हुआ है लेकिन इसका एक मुकम्मल सिद्धांत विकसित करने के लिए पर्याप्त सैद्धांतिक अध्ययन नहीं हुए हैं।

2.2.1 परिवार के प्रकार

परिवार की प्रकृति को समझने के लिए हम शुरुआत इसके विभिन्न प्रकारों पर निगाह डालने से करेंगे। आपने एकल, संयुक्त और विस्तारित परिवार के बारे में जरूर सुना होगा! परिवार को परिभाषित करने का एक तरीका उसके सदस्यों के बीच की पारस्परिकता है। आम तौर पर सामाजिक संरचना की मूल इकाई में नातेदारी की दो प्राथमिक कड़ियाँ – माता–पिता और भाई–बहन होते हैं। सरल

शब्दों में, एक परिवार में आमतौर पर इन संबंधों के विभिन्न संयोजन और क्रम–परिवर्तन शामिल होते हैं। भारतीय संदर्भ में, हम आम तौर पर एकल और संयुक्त परिवार के बीच भेद की बात करते हैं। परिवारों का संयुक्त और एकल में वर्गीकरण आमतौर पर परिवारों के गठन/बुनावट के तरीके पर आधारित होता है।

एकल परिवार: एकल परिवार सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें पति, पत्नी और बच्चे होते हैं। इस तरह के परिवार के बचे रहने के लिए पति–पत्नी के बीच का संबंध महत्त्वपूर्ण होता है।

संयुक्त परिवार: एकल परिवार से बड़ा होता है। उसमें दादा–दादी, माता–पिता, भाई–बहन और उनके पति–पत्नी व बच्चे शामिल हो सकते हैं। साझा रसोई घर, साझी संपत्ति और सदस्यों के बीच पारस्परिक दायित्व की भावना आदि संयुक्त परिवार की अन्य खासियतें होती हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली, विशेष रूप से हिंदू संयुक्त परिवार प्रणाली के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। पितृवंशीय, पितृस्थानिक (विवाहित जोड़े का विवाह के बाद पति के पिता के घर में निवास), संपत्ति पर हक, सह–आवासीयता और सामंजस्यपूर्ण संयुक्त परिवार, जिसमें तीन या अधिक पीढ़ियों का समावेश होता है, को हिंदू समाज में आदर्श पारिवारिक इकाई के रूप में चित्रित किया गया है। एम. एस. गोर (1968: 4–5) बताते हैं कि आदर्श रूप से, संयुक्त परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और उनके वयस्क बच्चे, उनकी पत्नियाँ और बच्चे और पैतृक जोड़े के छोटे बच्चे होते हैं। इस तरह के आदर्श परिवार में सबसे अधिक बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है। इस प्रकार के परिवार में अधिकार और दायित्व काफी हद तक सत्ता और अधिकार के अनुसार पदानुक्रमित होते हैं। पदानुक्रम का मुख्य आधारभूत सिद्धान्त उम्र और लिंग होते हैं। सदस्यों के बीच संपर्क और प्रकृति लिंग के आधार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, एक विवाहित महिला, अपनी सास और ननद के साथ रसोई में काम करती है। युवा सदस्यों से पुराने सदस्यों के प्रति सम्मान दिखाने की अपेक्षा रहती है और वे बड़ों द्वारा लिए गए निर्णय या उनकी अधिकारिकता पर शायद ही सवाल उठा सकते हैं, भले ही निर्णय का ताल्लुक सीधे उनसे हो। संयुक्त परिवार के बच्चे पैतृक पीढ़ी के सभी पुरुष सदस्यों के बच्चे माने जाते हैं।

विस्तारित परिवार संयुक्त परिवारों से बड़े होते हैं और इसमें तीसरी पीढ़ी शामिल होती है, जो या तो पति या पत्नी के माता–पिता, पति के भाई और उनकी पत्नी आदि हो सकते हैं। अक्सर, संयुक्त परिवार के बजाय 'विस्तारित' परिवार शब्द का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि यह दो या दो से अधिक मूल परिवारों का संयोजन और माता–पिता और बच्चे के संबंध के विस्तार पर आधारित होता है। ऐसे में, पितृवंशीय विस्तारित परिवार पिता–पुत्र संबंधों पर आधारित होता है, जबकि मातृवंशीय विस्तारित परिवार माँ–बेटी के संबंधों पर आधारित होता है। विस्तारित परिवार दो या उससे अधिक भाइयों, उनकी पत्नियों और बच्चों से भी बना (क्षैतिज विस्तार) हो सकता है। क्षैतिज रूप से विस्तारित परिवार को **भ्रातृ या संपार्श्विक** परिवार कहा जाता है। भारत में परिवार चाहे उर्ध्वाधर रूप से विस्तारित हो और/या क्षैतिज रूप से, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है और वह साझी–संपत्ति आधारित इकाई भी होता है। इस तरह, भारत में संयुक्त परिवार की अवधारणा के कानूनी और अन्य संदर्भ भी हैं।

एक और महत्वपूर्ण बिंदु परिवार और घर के बीच का अंतर है। कई शोध अध्ययनों और यहाँ तक कि सरकार द्वारा आँकड़ों के संग्रह की प्रक्रिया में, परिवार के बजाय घरेलू आकार शब्द का उपयोग किया जाता है। एक परिवार और एक घर के बीच क्या अंतर है? समाजशास्त्री स्पष्ट कहते हैं कि जहाँ परिवार एक सामाजिक परिघटना है, वहीं घर एक भौतिक परिघटना है। भौतिक में आकार में अंतर, तलाक की दर में वृद्धि आदि पहलू भी शामिल हैं।

एकल और संयुक्त परिवार की उपरोक्त परिभाषाएँ इस अर्थ में सीमित हैं कि वे परिवार के संरचनात्मरक पहलू से अधिक कुछ नहीं कहते हैं। जब हम भारत में क्षेत्र, धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर परिवार के स्वरूप और उसमें समय के साथ हुए व्यापक बदलावों पर नजर डालते हैं तो एकल और संयुक्त परिवार दो अलग–अलग, पृथक और स्वतंत्र इकाईयों के रूप में नहीं बल्कि एक निरंतरता (बवदजपदननउ)(पारिवारिक विकास चक्र में अंतर्संबंधित) के रूप में दिखते हैं।

एकल और संयुक्त परिवार

(चित्र का स्रोत https://hindiourhome.blogspot.com/2018/07/blog-post_16.html)

2.2.2 परिवार के कार्य

परिवार कुछ आवश्यक कार्यों का निष्पादन करता है, जो सामाजिक, प्रजननात्मक/पुनरुत्पादनात्मक, आर्थिक और शैक्षिक प्रकृति के होते हैं। प्रजनन/पुनरुत्पादन पति और पत्नी के बीच स्थायी संबंध स्थापित करता है। परिवार का पारंपरिक दृष्टिकोण इसमें श्रम–विभाजन को शामिल मानता है, जो आज भी लागू होता है। पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष को घर का मुखिया और प्रमुख कमाई करने वाला माना जाता है। महिलाएँ घर, बच्चों और बड़ों की देखभाल करती हैं। संयुक्त परिवारों में परिवार आर्थिक इकाई भी होता है, जहाँ हर सदस्य परिवार के आर्थिक उत्पादन में योगदान देता है। उदाहरण के लिए पारिवारिक व्यवसाय या खेती, जिसमें हर सदस्य की विशिष्ट भूमिका तथा आमदनी और मुनाफे में हिस्सेदारी होती है। समाजीकरण परिवार के प्राथमिक कार्यों में से एक है। यह परिवार ही है जिसके माध्यम से संस्कृति और सामाजिक मूल्यों का पीढ़ी–दर–पीढ़ी हस्तांतरण होता है और नई पीढ़ी समाज में एकीकृत होना सीखती है। परिवार और बदलाव से जुड़े प्रमुख मुद्दों में से एक परिवार के कार्य हैं। परिवार, खासकर विस्तारित परिवार द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को अब समाज की अन्य संस्थाएँ करने लगी हैं। बेल और वोजेल (1960) के मुताबिक, यह बात अक्सर दोहराई जाती है कि पारंपरिक समाज की तुलना में आधुनिक समाज में महिलाओं

को कम काम करना पड़ता है। मशीनीकरण के कारण कपड़े, बर्तन आदि धोने और दूसरे कई कठिन कार्यों का बोझ अब हल्का हो गया है। बेल और वोजेल इससे असहमति जताती हैं। उनका कहना है कि यह सही है कि महिलाओं को अब कुछ कार्यों के लिए कम समय देना पड़ता है लेकिन उनके जिम्मे अब कई नए काम आ गए हैं, जैसे बैंक जाना, विभिन्न पेशा अपनाना, घर पर काम करना आदि। इसलिए काम की प्रकृति में भले ही बदलाव हुआ हो लेकिन बोझ कम नहीं हुआ है। दूसरी बात वे मूल्यों और व्यवहार में हुए बदलावों के बारे में कहती हैंरू संयुक्त परिवार को सीमित और पितृसत्तात्मक के रूप में देखा जाता था, जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जगह नहीं थी। बेल और वोजेल का मत है कि यह धारणा गलत है कि एकल परिवार स्वतंत्र और स्वायत्त होते हैं। बच्चे आर्थिक रूप से माता–पिता पर निर्भर होते हैं और माता–पिता के साथ तब तक रहते हैं जब तक कि वे खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते।

2.2.3 निवास के प्रारूप (पैटर्न) और परिवार

वंश संरचनाएँ और निवास के प्रारूप भिन्न–भिन्न संस्कृतियों में भिन्न–भिन्न होते गईं। इण्डोनेशियाई द्वीपसमूह के इबान समाज में हर बच्चा किसी–न–किसी खास परिवार का होता है। उसे बिलेक कहते हैं। बच्चा, या तो माता या पिता के परिवार का सदस्य होता है। इबान समाज पर हुए शोध से पता चला कि 49 प्रतिशत मामले ऐसे थे जो **पितृस्थानिक** (विरिलोकल) थे और लगभग 51प्रतिशत **मातृस्थानिक** (यूक्सोरिलोकल) थे। जिस परिवार से बच्चा अधिकारवश जुड़ा था उसे उसका जन्म परिवार माना जाता था। बच्चा या तो पिता के परिवार का या माता के परिवार का। यानी दोनों का एक साथ नहीं, जब तक कि उसे दूसरा परिवार गोद नहीं ले लेता या उसमें उसका विवाह नहीं हो जाता। जब तक कोई व्यक्ति निवासी सदस्य था तब तक उसके पास संपत्ति और जमीन का उत्तराधिकार भी था। रेमंड फर्थ ने न्यूजीलैंड के माओरी समाज का उदाहरण दिया है जिसमें सदस्यता के लिए या तो माता या फिर, पिता का वंशज होना जरूरी था। जहाँ तक वंशज की बात है तो दोनों ही पक्षों को गिना जा सकता था। फर्थ ने माओरी हापु को **एम्बिलैटरल** समूह कहा। कारण उनमें सदस्यता माता और पिता दोनों तरफ हो सकती थी। इबान समाज की तरह नहीं जिसमें सदस्यता किसी एक ही तरफ हो सकती थी। इनके लिए **अल्ट्रोलैटरल** का प्रयोग किया गया।

बोध प्रश्न 1

नोटः अ) उत्तर लिखने के लिए नीचे दिए गए खाली स्थान का उपयोग करें।

ब) अपने उत्तर को इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से मिला कर देखिए।

1.) एकल और संयुक्त परिवार में क्या अंतर है?

.....

.....

.....

2.) परिवार के मुख्य कार्य क्या हैं?

.....

.....

.....

2.3 विवाह

विवाह समाज की एक महत्त्वपूर्ण और सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। एक सामाजिक संस्था के रूप में, यह बच्चों को जन्म देने और पालन–पोषण करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ और मान्यताप्राप्त संबंध को मुमकिन करती है। इस तरह यह मुख्य तौर पर मानवीय पुनरुत्पादन को नियंत्रित करने का एक तरीका है। लेकिन इस पुनरुत्पादन का समाजशास्त्रीय पहलू भी है। विवाह के जरिए यौन–संबंध कायम करने का अधिकार उक्त संबंध से जन्मी संतान को वैधता प्रदान करता है। यह वैधता **विरासत** और **उत्तराधिकार** के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसके अलावा, विवाह के माध्यम से परिवार वजूद में आता है। अपेक्षाकृत ज्यादा स्थिर सामाजिक समूह के रूप में परिवार पर बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण का दायित्व रहता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि विवाह समाज में सदस्यों के जरूरी प्रतिस्थापन के लिए ऐतिहासिक तौर पर संस्थानिक प्रक्रिया मुहैया

करता रहा है और इस तरह, मनुष्य के जीवित रहने और सामाजिक निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण पूर्व–अपेक्षा की पूर्ति करता रहा है।

2. 3. 1 विवाह की अवधारणा

हालाँकि, अंतरंगता और यौनिकता के मान्यता प्राप्त रूपों के मानदंडों में बदलाव के साथ–साथ बतौर संस्था विवाह में भी परिवर्तन होते पाया गया। जो भी कहें, समाजशास्त्री और मानवविज्ञानी एक अवधारणा के रूप में विवाह को परिभाषित करने के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं। कैथलीन गफ ने अपने आलेख (1959) में लिखा है कि विवाह की कोई खास परिभाषा किसी खास समाज के लिए उपयुक्त हो सकती है लेकिन दूसरे समाज के लिए नहीं। वह विवाह की अपनी परिभाषा का उदाहरण देती हैं– 'विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच का ऐसा मिलन है जिसमें महिला से पैदा हुई संतान को दोनों की वैध संतान माना जाता है' (1959: 33)। वह न्यूर समाज का उल्लेख करते हुए इस परिभाषा को उसके संदर्भ में उपयुक्त बताती हैं। उस समाज में महिलाओं के बीच विवाह होता है। इस तरह का विवाह तब होता है जब कोई महिला बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है। वह किसी दूसरी महिला (भले ही वह पहले से विवाहित हो) से विवाह करती है जो उसके लिए 'पति' की भूमिका निभाती है। अपनी महिला 'पत्नी' के बच्चा के लिए वह कबीले के किसी पुरुष के साथ सहवास कर गर्भधारण करती है। गिलिन और गिलिन की विख्यात परिभाषा के अनुसार, श्विवाह प्रजनन द्वारा परिवार कायम करने का सामाजिक तौर पर मान्यताप्राप्त तरीका है'।

एडमंड लीच ने विवाह को परिभाषित करने के लिए केवल संतान की वैधता को मानदंड बनाने का विरोध किया है। कैथलीन गाफ के नायरों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने उनका हवाला दिया। वह कहते हैं कि नायरों में पारंपरिक रूप से कहने को कोई विवाह नहीं था। उनके मुताबिक किसी एक परिभाषा का सभी समाजों पर लागू होना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने दस प्रकार के अधिकारों का सुझाव दिया और कहा कि यदि किसी समाज विशेष में किसी संस्था में उनमें से एक या अधिक दिखे तो उस संस्था को विवाह करार दिया जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं है, इसे कई विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। गफ निम्नलिखित परिभाषा का सुझाव

भी देती हैं, "विवाह एक महिला और एक या अधिक व्यक्तियों के बीच स्थापित एक संबंध है, जो यह सुनिश्चित करता है कि महिला द्वारा मान्यताप्राप्त परिस्थितियों में जन्म दिए गए बच्चे को उसके समाज या सामाजिक स्तर में आम तौर पर सदस्यों को प्राप्त जन्मसिद्ध अधिकार मिल सके"(1959, 32)।

2.3.2 विवाह के प्रकार

जैसा कि अभी बताया गया है, विवाह के कई प्रकार हैं। इन रूपों की पहचान पति और पत्नी की संख्या तथा कौन किसके साथ विवाह कर सकता है उसे निर्देशित करने वाले नियमों के आधार पर की जाती है। जहाँ तक संख्या की बात है तो हमें विवाह के ये दो रूप मिलते हैं दृ एकल विवाह और बहुविवाह।

एकल विवाह (एक पत्नी और एक पति): एकल विवाह में एक समय में एक ही पति और पत्नी हो सकते हैं। यह अमूमन सभी समाजों में प्रचलित है और सभी आधुनिक औद्योगिक समाजों में लगभग सार्वभौमिक रूप में मौजूद है। यहाँ तक कि जहाँ बहुविवाह की अनुमति है, वास्तविक व्यवहार में, एकलविवाह अधिक व्यापक रूप से प्रचलित है। वित्तीय संसाधनों की कमी और आबादी में पुरुषों एवं महिलाओं के अनुपात के बीच लगभग समानुपात के कारण बहुविवाही समाजों में रहने वाले अधिकांश व्यक्तियों के पास एक समय में एक से अधिक पति या पत्नी नहीं हो सकते हैं। कई समाजों में, व्यक्तियों को पहले पति या पत्नी की मृत्यु पर या तलाक के बाद पुनर्विवाह की अनुमति है; लेकिन उस मामले में भी एक समय में एक से अधिक पति–पत्नी नहीं हो सकते। इस तरह के एकल विवाह को सीरियल मोनोगैमी (सामयिक एकविवाह) कहा जाता है। अधिकांश पश्चिमी समाज में सीरियल मोनोगैमी की व्याप्ति है। ऐसे भी समाज हो सकते हैं जहाँ पुनर्विवाह की इजाजत न हो। ऊंची जातियों की अधिकांश हिंदू महिलाओं को 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के से पहले जबरन एकलविवाह के आदर्श का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता था। कारण तब तक विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। हालाँकि, पुरुषों पर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था। पत्नी की मृत्यु के बाद वे आसानी से पुनर्विवाह कर सकते थे। वैसे, कुछ निम्न जातियों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति थी। ऐसे पुनर्विवाह में आमतौर पर मृत पति के भाई को उपयुक्त साथी

माना जाता था। इससे संपत्ति परिवार के दायरे में ही कायम रहती थी। इसे **नियोग (लेविरेट) विवाह** भी कहा जाता है।

बहुविवाह : बहुविवाह से एक समय में एक से अधिक पति या पत्नी वाले विवाह का बोध होता है। यह दो रूपों में पाया जा सकता है – या तो बहुपत्नी (एक पति और दो या दो से अधिक पत्नी) या फिर, बहुपति (एक पत्नी और दो या दो से अधिक पति)। जबकि सभी समाजों में एकविवाह की अनुमति है, वहीं कुछ समाजों में बहुपत्नी के रूप में बहुविवाह भी प्रचलित रूप है। 283 समाजों के विश्लेषण के आधार पर मर्डॉक (1981) के शोध से पता चला कि उनमें से 193 में बहुपत्नी, 43 में एकलविवाह और केवल 2 में बहुपति प्रथा का चलन था। कुछ बहुविवाही समाजों में पत्नियों/पतियों के चयन के लिए तरजीही/अधिमान्य नियमों का पालन किया जाता है। कुछ समाजों में पुरुष, पत्नी की बहनों से शादी करते हैं, ऐसे विवाह को साली बहुपत्नी प्रथा (सॉरोरल पॉलीगिनी) कहा जाता है। बहुपति समाजों के बीच, भाई बहुपति अब तक सबसे आम है, जहाँ महिला के पति आपस में भाई होते हैं।

बॉक्स 1 नायरों के बीच विवाह

केरल के नायरों के बीच परिवार में बहनें, भाई, उनके बच्चे और बहनों की बेटियों के बच्चे शामिल हुआ करते थे। ऐसे घर को तारवाड़ कहा जाता था और सबसे बुजुर्ग पुरुष (कानूनी अभिभावक) को करावनन कहा जाता था। नायर लड़कियों का रजस्वला से पहले ही कल्याणम नामक रस्म द्वारा अनुष्ठानिक विवाह करा दिया जाता था। रस्म के बाद दंपति को तीन दिन तक एकांत में रखा जाता था, जिसके बाद वे प्रतीकात्मक रूप से (कपड़े के एक टूकड़े को सबके सामने फाड़कर) सार्वजनिक रूप से अलग कर दिए जाते थे। वे फिर कभी नहीं मिलते थे। पत्नी पति के घर केवल एक बार उसकी मृत्यु होने पर ही जाती थी, वह भी जरूरी संस्कारों को निपटाने के लिए। कई नायर समूहों में आनुष्ठानिक पति को बच्चे का पिता माना जाता था न कि उसे जन्म देने वाले को।

लड़की के लिए यह रस्म जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला माना जाता था। इसके बाद वह युवती के रूप में देखी और स्वीकार की जाती थी। उसे अपने वंश के दायरे

में आने वाले पुरुषों से सामाजिक और यौनिक दोनों ही तरह की दूरी बनाए रखनी पड़ती थी। वह अन्य उप–जाति समूहों या वंश के पुरुषों या नंबूदिरी ब्राह्मणों को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार पाई जाती थी। इन रिश्तों को संबंधम कहा जाता था। उसे अपने वंश के नायर पुरुषों तथा निम्न उपजातियों/जातियों के पुरुषों से संबंध कायम करने की मनाही थी। आनुष्ठानिक पति अपनी आनुष्ठानिक पत्नी से तब तक नहीं मिल सकता था जब तक कि वह भी मिलने वाला पति (विजिटिंग हस्बेंड) न बन जाए।

यहाँ अब जो सवाल उठता है वह है बच्चे और पितृत्व का। स्त्री के गर्भवती हो जाने पर एक या अधिक पुरुष पितृत्व का दावा करते थे और दाई को कपड़े तथा सब्जियाँ भेंट करते थे। यदि बच्चे का दावा करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता था तो यह मान लिया जाता था कि बच्चा निचली जाति या अलग धर्म के पुरुष से संबंध का परिणाम होगा। ऐसी सूरत में स्त्री का बहिष्कार किया जाता या कभी–कभी उसे मार भी दिया जाता। पितृत्व का दावा करने वाले पुरुष का बच्चे के प्रति कोई सामाजिक, आर्थिक या कानूनी कर्तव्य नहीं बनता था। यह मातृवंशीय परिजन समूह था जो बच्चे की सारी जिम्मेदारी उठाता था।

विवाह के जिस रूप के बारे में बॉक्स 1 में चर्चा की गई है वह अब नायरों के बीच प्रचलित नहीं है। आजादी के बाद उसमें गिरावट होते देखी गई। लेकिन यह एक उदाहरण है जो बताता है कि विवाह समाज–दर–समाज कैसे भिन्न रूप ले सकता है। और इसलिए, किसी एक परिभाषा में उसे बांधने की कोशिश कितना कठिन है। इस तरह के विवाह के कारण पारिवारिक संरचना में भी भिन्नता आई। परिवार पिता, माता और बच्चे से नहीं बनता था, जैसा कि आम तौर पर पाया जाता है। और न ही पिता का बच्चे के प्रति कोई दायित्व या अधिकार बनता था। बच्चे अपने आनुष्ठानिक पिता को 'अप्पन' (पिता) कहते थे। मृत्यु के अवसर पर प्रदूषण बरतने के सिवाय उनका एक–दूसरे के प्रति कोई दायित्व या अधिकार नहीं बनता था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक बच्चे को एक आनुष्ठानिक और जैविक पिता की जरूरत थी। उनके बिना बच्चे को समाज में मान्यता नहीं मिल सकती थी और ऐसे में, वह समाज का हिस्सा नहीं हो पाता था। अफ्रीका के नुएर

समुदाय में कोई पुरुष केवल कुछ शुल्क देकर एक अविवाहित महिला के बच्चे को वैध कर सकता है (इवांस प्रिचर्ड, 1951)। इसी तरह दक्षिण भारत के टोडासों में विवाह और मान्यता के बीच कोई आवश्यक जुड़ाव नहीं होता। उनमें मान्यता के लिए विवाह के बाद एक रस्म का चलन है। यह रस्म पति द्वारा किया जाता है, जिसे वह महिला के पिछले पिछले पति/यों से पैदा हुई संतानों के लिए भी कर सकता है।

विवाह के रूप को धर्म भी निर्धारित करता है। मिसाल के लिए, इस्लाम में विवाह को दो व्यक्तियों के बीच अनुबंध माना जाता है। वहीं, हिंदू और ईसाई धर्म में, विवाह को दैविक अनुबंध माना जाता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि भारत में हिंदुओं के बीच तलाक को अच्छा नहीं माना जाता है। महिलाओं से परिवार के निष्क्रिय या निष्प्रभावी और पीड़ादायी हो जाने के बावजूद महिला से विवाह को जारी रखने की उम्मीद की जाती है। इसी तरह, रोमन कैथोलिक चर्च तलाक को मान्यता नहीं देता है। तलाक के बावजूद 'युगल को ईश्वर नजरों में विवाहित जोड़ा माना जाता है'।

गतिविधि 1

अगस्त 2004 के 'हिंदुस्तान टाइम्स' में एक खबर प्रकाशित हुई थी 'गर्लफ्रेंड्स शन फैमिलीज'। यह भोपाल की एक झुग्गी में रहने वाली दो युवतियों के बारे में था। उनमें से एक के माता–पिता ने जबरन उसकी शादी एक पुरुष से कर दी थी लेकिन दूसरी लड़की जो कि पहली लड़की की 'गर्लफ्रेंड' थी, ने विवाह में खलल डाला। दोनों लड़कियों ने साथ रहने का फैसला किया। पुलिस और काउंसेलरों ने लड़कियों को उनके परिवारों में वापस लाने में मदद करने की कोशिश की लेकिन लड़कियों ने माना नहीं। क्या गफ के विवाह की परिभाषा में यह उदाहरण उपयुक्त हो सकता है? इस सवाल का उत्तर अलग से अपनी कॉपी में लिखिए और और 'विवाह' की अपनी परिभाषा कीजिए जिसमें वैकल्पिक यौनिकता से संबंधित समकालीन मुद्दे प्रतिबिंबित हो सके और जिसे आप अपने साथियों के साथ साझा कर सकें।

अगले हिस्से में वंश क्रम और वैवाहिक संबंध के बारे में जानकारी दी गई है जिसे विवाह की अवधारणा की नींव कहा जा सकता है। लेकिन उससे पहले अब तक आपने जो पढ़ा उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न 2

नोटः अ) उत्तर लिखने के लिए नीचे दिए गए खाली स्थान का उपयोग करें

ब) अपने उत्तर को इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से मिला कर देखिए।

1) साली बहुपत्नी प्रथा क्या है?

.....

.....

.....

.....

2) बहुपति विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है?

.....

.....

.....

.....

2.4 वंश क्रम और वैवाहिक संबंध

इस खंड में हम नातेदारी अध्ययन में प्रयुक्त होने वाले दो अवधारणाओं दृ वंश क्रम और वैवाहिक संबंध पर विचार करेंगे। नातेदारी पर बड़े पैमाने पर अध्ययन करने वाले विद्वान रॉबिन फॉक्स का कहना है कि अधिकांश आदिवासी समाजों में सामाजिक संगठन वंश क्रम और वैवाहिक संबंध की अवधारणाओं पर आधारित है। वे लिखते हैं कि वंश क्रम और वैवाहिक संबंध कई महिलाओं के साथ एक पुरुष का अस्थायी संबंध होता है। वे अस्थायी शब्द का उपयोग करते हैं, क्योंकि किसी भी तरफ की साथी की मृत्यु के कारण संबंध समाप्त हो सकता है। वैवाहिक संबंध की एक अन्य व्याख्या के मुंतबिक इससे दो या अधिक कबीलों (एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करने वालों का समूह) के बीच जुड़ाव का बोध होता है। नातेदारी की सामाजिक इकाईयाँ वैवाहिक संबनाधोन बनती हैं। इसके माध्यम से ऐसे लोगों/समूहों के साथ संबंध बनाए जाते हैं जो जनजाति/कबीले का हिस्सा नहीं होते हैं। ये संबंध, विशेष रूप से विवाह–संबंध, कुछ नियमों पर आधारित हो सकते हैं। मसलन *बहिर्विवाह* (जनजाति/कबीले के बाहर विवाह) और *अंतर्विवाह* (जनजाति/कबीले के भीतर विवाह)। भारत में सपिंड और सगोत्र विवाह इस तरह के नियम के उदाहरण हैं। सपिंड बहिर्विवाह के नियमों के अनुसार, कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता है जो पिता की तरफ से पाँच पीढ़ी तक और माता की तरफ से तीन पीढ़ी तक के दायरे में आता हो। इसी तरह, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। जब दो लोग कहते हैं कि उनका गोत्र समान है तो इसका मतलब या हुआ कि वे एक ही पूर्वज के वंश की सन्तानें हैं। कुछ गाँव अपने भीतर विवाह को प्रतिबंधित करते हुए, बहिर्विवाह के नियमों का पालन कर सकते हैं। ये सभी नियम निर्धारित करते हैं कि कैसे और किसके साथ संबंध कायम किया जा सकता है।

दोहरे वंश पर अपने एक लेख में जैक गुडी (1961) लिखते हैं कि वंश का उपयोग मानव समाजों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। एक वंश समूह को मोटे तौर पर किसी भी सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक सामान्य पूर्वज से अपने वंश को निकला हुआ बताता है। उक्त पूर्वज वास्तविक या मिथकीय में से कोई भी हो सकता है।

मानवविज्ञानी डब्ल्यू.एच.आर.रिवर्स, ने अपने अध्ययन *नातेदारी और सामाजिक संगठन* (1968) ने वंश का प्रयोग किसी एक परिजन समूह और उसमें भी, एकरेखीय परिजन समूह का सदस्य होने की पात्रता के लिए किया। उन्होंने वंश को द्विपक्षीय, पितृवंशीय, मातृवंशीय और दोहरे वंश के रूप में वर्गीकृत करते हुए कहा कि इस वर्गीकरण की व्याख्या मानवविज्ञानी अलग–अलग तरह से कर सकते हैं।

माता की तरफ के पूर्वज पर आधारित वंश को **मातृवंशीय** और पिता की तरफ के पूर्वज पर आधारित वंश को **पितृवंशी**य कहा जाता है। अधिकांश समाजों को **एकरेखीय/पक्षीय** वंश समूह कहा जा सकता है अर्थात वे या तो पितृवंशीय होते हैं या मातृवंशीय। पितृस्थानिक या मातृस्थानिक इस अवधारणा का विस्तारित रूप है। जिस समाज में नवविवाहित जोड़ा के पति और उसके परिवार वालों के साथ रहने का चलन है उसे **पितृस्थानिक** कहा जाता है। वहीं, जहाँ नवविवाहित जोड़ा के पत्नी और उसके परिवारवालों के साथ रहने का चलन है उसे **मातृस्थानिक** कहा जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक मातृवंशीय समाज में उत्तराधिकार महिलाओं के माध्यम से सी कायम हो। लेकिन मूल अमेरिकी जनजातियों के बीच ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें उत्तराधिकार का निर्धारण मातृवंशीयता के आधार पर किया जाता है। भारत में, ख़ासी और नायर मातृवंशीय प्रणाली का पालन करते हैं। लेकिन नायरों के बीच संपत्ति का नियंत्रण भाई किया करते हैं। केसिंग (1968: 453) तीन प्रकार के वंश श्रेणियों की बात करते हैंरू

1) मातृपितृ पक्ष (कॉग्नेटिक): पुरुष या महिला के वंश के पूर्वज के साथ संबंध। माओरिस, मलाइता वंश के इस स्वरूप का पालन करते हैं; 2) पितृपक्ष (एग्नेटिक)रू इसमें वंशज पुरुषों की एक अटूट वंश रेखा पर स्थित होता है; 3) गैर–पितृपक्ष (नॉन–एग्नेटिक)रू कम–से–कम एक महिला के वंश में जन्मा वंशज।

क्वायो **एग्नेटिक और नॉन–एग्नेटिक** दोनों हो सकते हैं। फर्थ (1957), शेफ़लर (1964), मर्डॉक (1960) और अन्य कई अन्य विद्वानों ने **कॉग्नेटिक** के बारे मेन अध्ययन किए हैं। उस दौरान अफ्रीका में पाए जाने वाले नुएर और टालेंसी जैसे एकवंशीय समुदाय अध्ययन के लिए जिज्ञासा के विषय थे। हालाँकि ऐसा लगा कि पैसिफिक में रहने वाले भिन्न वंश–क्रम का पालन कर रहे थे। दोहरे वंश में व्यक्ति

पितृपवंशीय और मातृवंशीय दोनों समूहों का सदस्य होता है। नीचे दिए गए चित्र विभिन्न प्रकार के वंश समूहों के बारे में बताते हैं।

आपके संदर्भ के लिए पितृवंशीय और मातृवंशीय वंश समूहों के नातेदारी चार्ट नीचे दिए जा रहे हैं। चार्ट में प्रयुक्त प्रतीक इस प्रकार हैं:

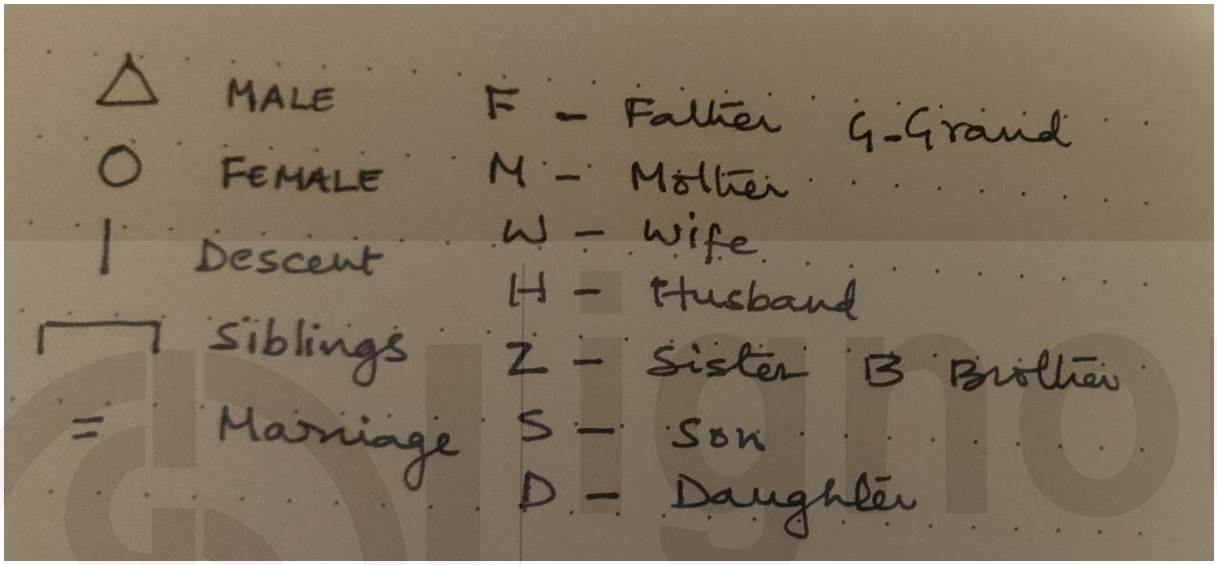

पितृवंशीयता

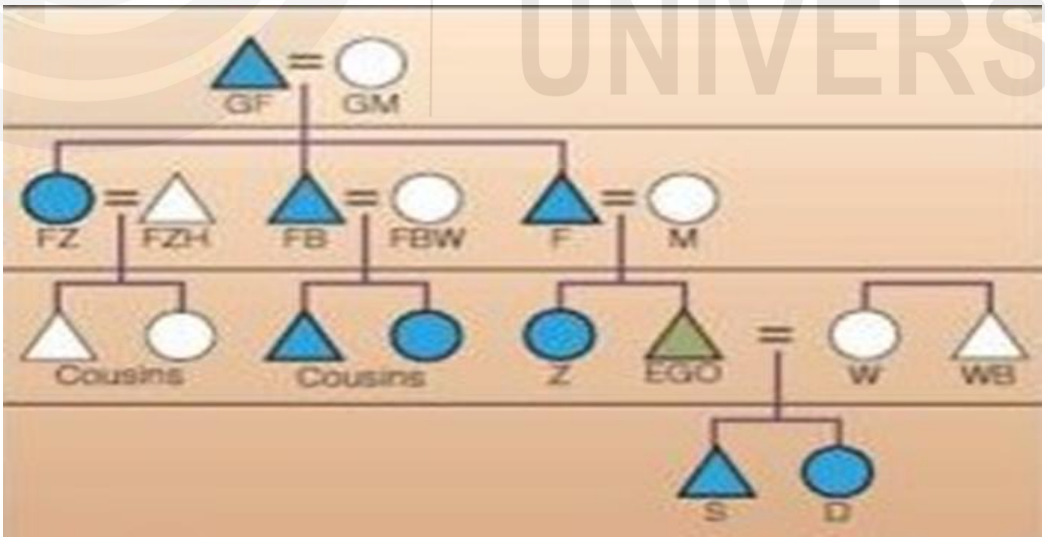

मातृवंशीयता

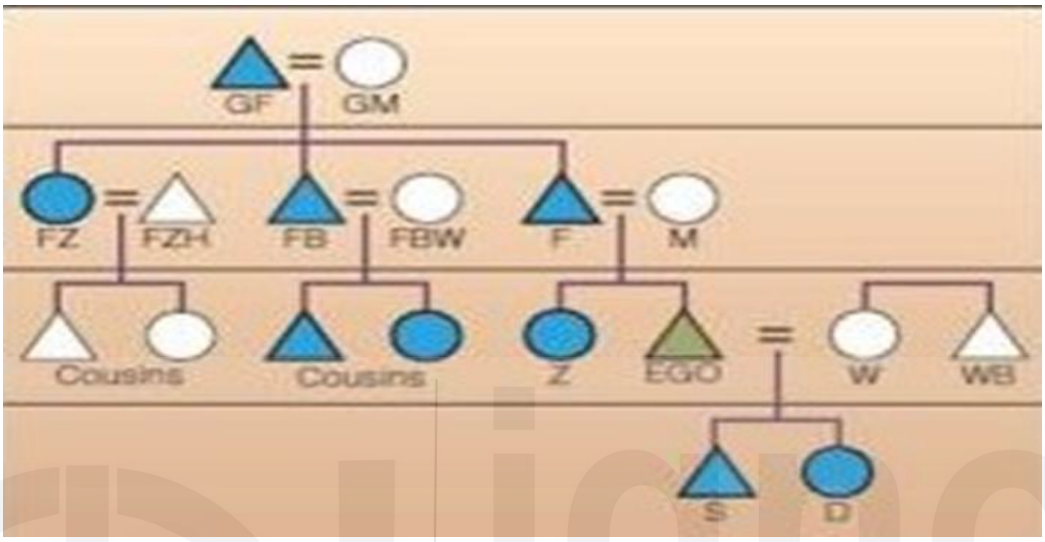

बोध प्रश्न 3

नोटरू अ) उत्तर लिखने के लिए नीचे दिए गए खाली स्थान का उपयोग करें।

ब) अपने उत्तर को इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से मिला कर देखिए।

1) दोहरे वंश में वंश .....के नाम पर चलता है।

2) पितृवंशीय समाज में वंश .....के नाम पर चलता है।

3) बहिर्विवाह के नियमों के अनुसार .....गोत्र के बाहर विवाह करना होता है.

4) जब एक नवविवाहित जोड़ा पति और उसके परिवार के साथ रहता है तब उसे . .....कहा जाता है।

2.5 सारांश

इस इकाई के माध्यम से आप नातेदारी अध्ययन की कुछ बुनियादी अवधारणाओं से परिचित हो गए होंगे। हमने अवधारणाओं की कुछ प्रमुख परिभाषाओं के साथ इकाई की शुरूआत की और फिर, प्रत्येक अवधारणा के भीतर विभिन्न श्रेणियों को जाना। परिवार नामक खंड में हमने एकल, संयुक्त और विस्तारित परिवार पर चर्चा की। विवाह खंड में हमने विभिन्न प्रकार के विवाहों अर्थात एकलविवाह, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह पर चर्चा की। वंश क्रम और वैवाहिक संबंध वाले अंतिम खंड में हमने पाया कि परिवार, विवाह और वंश की सभी अवधारणाएँ आपस में जुड़ी हुई हैं। वंश क्रम और वैवाहिक संबंध विवाह का निर्धारण करते हैं और परिवार में बदलाव करते हैं। यह इकाई आपको पितृस्थानिक और मातृस्थानिक अवधारणाओं से भी परिचित कराती है। आपको विभिन्न प्रकार के परिवारों, विवाह और वंश समूहों की पहचान करने में अब सक्षम होना चाहिए।

2.6 संदर्भ

इवांस–प्रिचर्ड, ई. ई. (1951), *द न्यूर*, ऑक्सफोर्ड

फर्थ, आर. (1957), 2. 'अ नोट ओन डिसेन्ट ग्रुप्स इन पोलिनेसिया', *मैन*, 57, 4–8

गिलिन, जे. एल., और गिलिन, जे. पी. (1942), एन इंट्रोडकसन टू सोसियोलोजी, मैकमिलन

गुडी, जैक (1961), 'द क्लासिफिकेशन ऑफ़ डबल डिसेंट सिस्टम', *करंट एंथ्रोपोलॉजी*, वॉल्यूम 2, नंबर 1 (फरवरी, 1961), पृष्ठ 3–25

गफ, के. ई., 'द नायर्स एंड दी डेफिनिशन ऑफ मैरिज', *द जर्नल ऑफ द रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड*, वॉल्यूम 89, नंबर 1 (जनवरी–जून., 1959), पृष्ठ 23–34

कीसिंग, आर. एम. (1968), 'ऑन डिसेंट एंड डिसेंट ग्रुप्स', *करंट एंथ्रोपोलॉजी*, वॉल्यूम 9, नंबर 5, पृष्ठ 453–454

लीच, ई. आर. (1955), 'पोलियांड्री, इन्हेरिटेन्स एंड डेफिनिशन ऑफ मैरिज', *मैन*, वॉल्यूम 55 (दिसंबर, 1955), पृष्ठ 182–186

मर्डॉक, जी. पी. (1981), *एटलस ऑफ वर्ल्ड कल्चर*. पिट्सबर्गरू पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी प्रेस

मर्डॉक, जॉर्ज पीटर (1949), *सोशल स्ट्रक्चर*. न्यूयॉर्करू मैकमिलन कंपनी

रेडक्लिफ–ब्राउन, ए.आर. (1929), 'बाइलेटरल डिसेंट', *मैन*, वॉल्यूम 29 (नवंबर, 1929), पृष्ठ 199–200

रिवर्स, डब्ल्यू. एच. आर., फर्थ, आर., और शेडर, डी. एम. (1968), *किनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन* (नं. 34), एथलोन प्रेस.

शेफ़लर, एच. डब्ल्यू. (1964). 'डिसेंट कॉन्सैप्ट एंड डिसेंट ग्रुप्सः द माओरी केस', द जर्नल ऑफ़ द पोलिनेशियन सोसाइटी, 73 (2), पृष्ठ 126–133

वोजेल, ई. एफ., और बेल, एन. डब्ल्यू. (संपादक) (1960). *अ मॉडर्न इंट्रोडक्शन टू दी फैमिली,* फ्री प्रेस

2.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1 के उत्तर

1) एकल परिवार में आमतौर पर माता, पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। दूसरी ओर संयुक्त परिवार उससे बड़ा होता है। इसमें दादा–दादी, माता–पिता, भाई–बहन, उनके पति और उनके बच्चे शामिल हो सकते हैं। संयुक्त परिवार की अन्य विशेषताओं में शामिल हैं, साझी रसोई, साझी संपत्ति और सदस्यों के बीच परस्पर दायित्व का भाव।

2) परिवार में कई ऐसे कार्य होते हैं जो सामाजिक संस्था के रूप में इसके स्थायित्व का एक कारण है। परिवार यौन व्यवहार को नियंत्रित करता है। पुनरुत्पादन के नियम परिवार में केंद्रित होते हैं। विवाह के मान्यता प्राप्त रूपों के

माध्यम से पैदा हुए बच्चे को परिवार का वैध सदस्य माना जाता है। प्रजनन कार्य परिवार के सदस्यों का जन्म और पोषण करके समाज में लोगों को स्थापित करने में मदद करते हैं। परिवार प्रत्येक बच्चे के सामाजीकरण की गंभीर जिम्मेदारी को वहन करता है। बच्चों को काफी हद तक उनके परिवारों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार सिखाए जाते हैं। एक परिवार अपने बच्चों को दुनिया में शामिल होने और उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार करता है और उन्हें वृहत्तर संस्कृति से परिचित कराता है। परिवार आर्थिक कार्यों का निष्पादन और श्रम विभाजन का आवंटन भी करते हैं। सदस्यों को परिवार को आर्थिक इकाई के रूप में बनाए रखने के लिए अलग–अलग भूमिकाएँ सौंपी जाती हैं।

बोध प्रश्न 2 के उत्तर

1) कुछ समाजों में पुरुष, पत्नी की बहनों से शादी करते हैं, ऐसे विवाह को साली बहुपत्नी विवाह कहा जाता है।

2) बहुपति समाजों के बीच, 'भ्रातृ' बहुपति अब तक सबसे आम है।

बोध प्रश्न 3 के उत्तर

1) दोहरे वंश में वंश पिता के नाम पर या माता के नाम पर चलता है।

2) पितृवंशीय समाज में वंश पिता के नाम पर चलता है।

3) बहिर्विवाह के नियमों के अनुसार विवाह अपने गोत्र/पिंड/ के बाहर करना होता है ।

4) जब एक नवविवाहित जोड़ा पति और उसके परिवार के साथ रहता है तब उसे पितृस्थानिक कहा जाता है ।